

तीसरा अध्याय

निष्पादन मूल्यांकन

लेखा परीक्षा समीक्षाएं

कृषि विभाग

3.1 कृषि विभाग की एकीकृत लेखा परीक्षा

विशेषताएं

राज्य शासन द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से राज्य में फसलों का उत्पादन एवं उनकी उत्पादक क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से अनेक फसल विकास योजनाएं/कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये। परन्तु विभाग कृषकों के बीच में नवीनतम तकनीकी एवं बीजों की उच्च उत्पादन किस्मों की जानकारी एवं प्रचार प्रसार करने में असफल रहा। यद्यपि 2000-2003 की अवधि के दौरान 311.29 करोड़ रुपये का व्यय किया गया अनेक केन्द्र/राज्य प्रवर्तित योजनाओं/कार्यक्रमों के साधारण क्रियान्वयन तथा उचित परिवीक्षण के अभाव के कारण उत्पादकता अधिकतर स्थिर रही। राज्य में धान की उत्पादकता 1369 किलो ग्राम प्रतिहेक्टेयर (1996-97) से घटकर 830 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई जो औसतन राष्ट्रीय उत्पादकता (2807 किलो ग्राम/प्रति हेक्टेयर) से बहुत कम है। कृषि विभाग द्वारा उत्पादकता का निर्धारित लक्ष्य (2000 किलो ग्राम/प्रति हेक्टेयर) प्राप्त नहीं किया गया। बागवानी, कृषि यांत्रिकी, गुणवत्ता नियंत्रण और मिट्टी परीक्षण की सहायक क्रियाकलापों के कम निष्पादन के परिणामस्वरूप लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। कुछ उदाहरण निम्नानुसार है :

2000-2003 के दौरान 95.25 करोड़ रुपये का उपयोग न करने से योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(कंडिका 3.1.4)

बीज, यंत्रों की पूर्ति एवं अन्य उद्देश्यों से दिये गये 1.15 करोड़ रुपये के अग्रिम असमायोजित पड़े थे । 1.73 करोड़ रुपये के संक्षिप्त आकस्मिकता देयक समायोजन हेतु लम्बित थे जो वित्तीय नियंत्रण की कमी को दर्शाता है इसके अतिरिक्त 2001-2003 के दौरान बृहत प्रबंधन के अन्तर्गत 44.89 लाख रुपये के व्यय के भारत सरकार के हिस्से को बढ़ाकर सूचित किया गया ।

(कंडिका 3.1.4)

2002-2003 के दौरान अनाज, दलहन और तिलहन के उत्पादन में 73.67 लाख मेट्रिक टन (2001-2002) से 41.88 लाख मेट्रिक टन की तेजी से गिरावट आई।

(कंडिका 3.1.5)

बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 49.17 लाख रुपये के अनुदान का अधिक भुगतान और आम तथा काजू पौध रोपण योजना पर 86.74 लाख रुपये का निष्फल व्यय प्रकट हुआ।

(कंडिका 3.1.5)

नमूना जांच किये गये जिलों में शासकीय उद्यान और कृषि प्रक्षेत्र भारी घाटे में (2.46 करोड़ रुपये) चल रहे थे।

(कंडिका 3.1.5)

भू एवं जल संरक्षण उपायों पर निर्धारित सीमा से 2.58 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया गया।

(कंडिका 3.1.6)

असफल नलकूपों पर 42.52 लाख रुपये का निष्फल व्यय किया गया।

(कंडिका 3.1.7)

नमूना जांच किये गये जिलों में निष्क्रिय और संलग्न अमले के वेतन एवं भत्तों पर 55.57 लाख रुपये का निष्फल व्यय प्रकट हुआ।

(कंडिका 3.1.8)

3.1.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ में कुल कृषि योग्य 56.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 11.46 लाख हेक्टेयर (20 प्रतिशत) की सिंचाई संभावना है।

कृषि विभाग का मुख्य उद्देश्य विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित और राज्य प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना था।

3.1.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर बागवानी और कृषि यांत्रिकी खण्ड को शामिल करते हुए कृषि विभाग के प्रमुख, आयुक्त सह प्रधान सचिव नीतियों के निर्धारण हेतु उत्तरदायी है। राज्य स्तर पर योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं उनके परिवीक्षण हेतु संचालक कृषि उत्तरदायी है। इनकी सहायता संचालनालय में अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक तथा अन्य अधिकारियों और जिला एवं ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। अतिरिक्त संचालक, कृषि बजट तैयार करने और व्यय पर नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है।

3.1.3 लेखा परीक्षा समावेशन

नमूना जांच किये गये चार जिलों में तीन उप संचालक, कृषि, एक उप/सहायक संचालक, उद्यानिकी, चार सहायक भू-संरक्षण अधिकारियों के कार्यालयों यथा बस्तर, बिलासपुर, रायपुर एवं सरगुजा में विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच नवम्बर 2000 से मार्च 2003 की अवधि हेतु की गई। संचालक, कृषि रायपुर कार्यालय में 2000-01 से 2002-03 की अवधि का समावेश करते हुए इसी प्रकार की नमूना जांच जुलाई/अगस्त 2003 में की गई। नमूना जांच किये गये जिलों का चयन इन जिलों में किये गये व्यय¹² एवं विभाग का समस्त क्रियाकलापों के पर्याप्त समावेश को सुनिश्चित करने के आधार पर किया गया था।

नमूना जांच के परिणाम अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित किये गये हैं।

¹² 2001-2002 के दौरान संचालक द्वारा 6.79 करोड़ रुपये (सरगुजा) 7.17 करोड़ रुपये (बिलासपुर) 4.23 करोड़ रुपये (बस्तर) और 9.64 करोड़ रुपये (रायपुर) व्यय किये जाना सूचित किया गया (वर्ष के दौरान 146.44 करोड़ रुपये के कुल व्यय का 19 प्रतिशत)

3.1.4 वित्तीय प्रबंधन

विभाग नौ अनुदानों¹³ को समावेश करते हुए पाँच मुख्य शीर्षों¹⁴ के अंतर्गत व्यय करता है। विभाग में 118 आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं 26 नियंत्रण अधिकारी कार्यरत हैं।

बजट अनुमानों के आधार पर वित्त विभाग अंतिम आबंटन सूचित करता है। इन आबंटनों से व्यय नियंत्रित किया जाना है।

महालेखाकार के अभिलेखों के अनुसार बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नानुसार थे।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट प्रावधान		व्यय		बचत (प्रतिशत)	
	केन्द्र	योग	केन्द्र	योग	केन्द्र	योग
2000-2001 (नवम्बर से)	24.35	60.00	9.91	43.74	14.44 (59)	16.26 (27)
2001-2002	41.59	176.10	17.65	151.57	23.94 (58)	24.53 (14)
2002-2003	37.50	170.44	16.55	115.98	20.95 (56)	54.46 (32)
योग	103.44	406.54	44.11	311.29	59.33 (57)	95.25 (23)

अधिक प्रावधान और भारत सरकार की निधियों का उपयोग न किये जाने से 95.25 करोड़ रुपये की बचत

जबकि 2000-2003 के दौरान कुल बचतें 14 से 32 प्रतिशत के मध्य थी, केन्द्र क्षेत्र/केन्द्र प्रवर्तित योजना में बचतें 56 से 59 प्रतिशत के मध्य थी जो न केवल दोषपूर्ण बजटिंग बल्कि विशेष रूप से केन्द्र क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के कम क्रियान्वयन को भी दर्शाता है। संचालक (जुलाई 2003) ने केन्द्रीय निधियों के जारी न होने/विलम्ब से जारी होने के कारण उपयोग न होना बताया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग उक्त राशि भारत सरकार द्वारा दालें और मक्का पर सूक्ष्म प्रबंधन और तिलहन, तकनीकी मिशन के अंतर्गत जारी 9.33 करोड़ रुपये के उपयोग में असफल रहा। (2000-2001 के दौरान 6.91 करोड़ रुपये 2002-2003 के दौरान 2.42 करोड़ रुपये)

बजट प्रावधान और व्यय का अपर्याप्त परीक्षण नीचे दिया गया है।

58.22 करोड़ रुपये की सारभूत बचतें

- 2000-2003 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 58.22 करोड़ रुपये की सारभूत बचतें प्रकट हुईं। नवम्बर 2000 से मार्च 2003 के दौरान अधिक बचतें मुख्यतः फसल बीमा योजना (24.45 करोड़ रुपये 38 से 99 प्रतिशत), पौध संरक्षण योजना (46.31 लाख रुपये 52 से 66 प्रतिशत) और खाद्यान्न फसलें (1.31 करोड़ रुपये 43 से 99 प्रतिशत) के अंतर्गत हुईं, यह दर्शाता है कि बजट प्राक्कलन तैयार करते समय पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया (परिशिष्ट-xxv)

¹³ अनुदान संख्या 13, 15, 41, 45, 52, 54, 64, 80, 82

¹⁴ मुख्य शीर्ष 2401, 2402, 2415, 2702, 2705

87.74 लाख रुपये के अग्रिम भुगतान के विरुद्ध कृषि यंत्रों का प्राप्त न होना

- तीन उप संचालक कृषि¹⁵ और एक उप संचालक उद्यानिकी¹⁶ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वित्तीय नियमों के विपरीत केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत 87.74 लाख रुपये शासकीय एजेंसियों को अग्रिम के रूप में दिये गये परन्तु भारत सरकार को अंतिम व्यय के रूप में सूचना दी गई। परिशिष्ट - XXVI में दिये गये विवरणानुसार राशियाँ एजेंसियों के पास असमायोजित पड़ी हुई थी इसी प्रकार 2001-2002 के दौरान अधोसंरचना के निर्माण हेतु मंडी बोर्ड को दिया गया एक करोड़ रुपये का अनुदान अंतिम व्यय के रूप में सूचित किया गया परन्तु उपयोगिता प्रमाण पत्र अपेक्षित थे।

उप संचालक उद्यानिकी और उप संचालक कृषि ने उत्तर में बताया (मई और जून 2003) कि इन राशियों के समायोजन हेतु कार्यवाही की जा रही थी।

1.73 करोड़ रुपये हेतु संक्षिप्त आकस्मिकता देयकों का लंबित होना

- यह देखा गया कि परिशिष्ट -XXVII में दिये गये विवरणानुसार 1990-2002 की अवधि हेतु 1.73 करोड़ रुपये के संक्षिप्त आकस्मिकता देयक समायोजन हेतु लंबित थे।

विस्तृत आकस्मिकता देयक विलम्ब से प्रस्तुत किये गये थे, विलम्ब एक वर्ष से तेरह वर्ष के मध्य रहा सहायक भू-संरक्षण अधिकारियों ने उत्तर में बताया कि देयकों का प्रस्तुतीकरण किया जावेगा। परन्तु इन देयकों को लम्बे समय से लंबित होने के परिप्रेक्ष्य में धन राशि के गबन की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारी पहले ही सेवा निवृत्त हो गये होंगे।

27.46 लाख रुपये के स्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

- संवीक्षा में यह पाया गया कि 1983 से 2003 के दौरान कर्मचारियों को भुगतान किये गये 27.46 लाख¹⁷ रुपये के अस्थाई अग्रिम संबंधित कर्मचारियों द्वारा लेखे प्रस्तुत नहीं करने से समायोजित नहीं किये गये थे। लेखा प्रस्तुत करने में विलम्ब छः माह से 20 वर्ष के मध्य है। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने उत्तर में बताया कि अग्रिमों के समायोजन हेतु कार्यवाही की जावेगी।

वृहत प्रबंधन के अंतर्गत भारत सरकार के हिस्से को 44.89 लाख रुपये से बढ़ाकर सूचित किया गया था

- जनवरी 2001 में निर्मित वृहत प्रबंधन के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य 90 : 10 के अनुपात में व्यय वहन करना था। कुल व्यय की स्थिति, भारत सरकार के हिस्से का वास्तविक व्यय और भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर सूचित किये गये व्यय में पाया गया कि व्यय राशि में उपयोगिता प्रमाण पत्र में भारत सरकार के हिस्से में 44.89 लाख रुपये बढ़ाये गये थे।

¹⁵ अम्बिकापुर, जगदलपुर, रायपुर

¹⁶ रायपुर

¹⁷ 3.89 लाख रुपये सहायक संचालक उद्यानिकी जगदलपुर 11.40 लाख रुपये उप संचालक उद्यानिकी बिलासपुर, 3.97 लाख रुपये उप संचालक, कृषि जगदलपुर और 8.20 लाख रुपये सहायक संचालक, उद्यानिकी सरगुजा

3.1.5 कार्यक्रम का क्रियान्वयन

कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से विभाग द्वारा 27 केन्द्र क्षेत्र / केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं और 18 राज्य आयोजना योजनाएं क्रियान्वित की गईं ।

संचालक द्वारा प्रति वर्ष खरीफ और रबी फसलों के लिए बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य सामग्री की मांग का निर्धारण अग्रिम रूप से किया जाता था और उत्पादन का भौतिक लक्ष्य तथा अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य फसलों के समावेशित क्षेत्रफल निर्धारित थे ।

भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियाँ

समावेशित क्षेत्रफल और खरीफ और रबी फसल उत्पादन का भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियाँ निम्नानुसार थीं ।

तालिका - I लक्ष्य और उपलब्धियाँ

क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर, उत्पादन हजार मेट्रिक टन

फसल का नाम	खरीफ											
	2000-01				2001-02				2002-03			
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
अनाज	4100	4979	4122	3715	3994	5794	4017	6109	3890	6131	3792	3088
दलहन	265	115	236	135	420	268	371	229	468	301	442	276
तिलहन	190	92	158	79	299	193	263	124	311	202	284	168
अन्य	--	--	--	--	--	--	--	--	55	15	67	18
योग (क)	4555	5186	4516	3929	4713	6255	4651	6462	4724	6649	4585	3550

फसल का नाम	रबी											
	2000-01				2001-02				2002-03			
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
अनाज	103	85	165	239	134	159	206	283	178	203	126	167
दलहन	392	197	365	181	747	435	778	457	665	472	598	349
तिलहन	190	89	184	76	293	128	300	134	261	132	195	97
अन्य	---	---	65	37	--	--	74	31	81	61	76	24
योग (ख)	685	371	779	533	1174	722	1358	905	1185	868	996	637
कुल योग (क + ख)	5240	5557	5295	4462	5889	6977	6009	7367	5909	7517	5581	4188

क - क्षेत्रफल ख - उत्पादन

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि खरीफ फसल में 2001-2002 की अवधि को छोड़कर अन्य वर्षों में समावेशित जोत क्षेत्र विस्तार और उत्पादन वृद्धि दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी। यह किसानों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाने के बावजूद है ।

विभाग द्वारा चलायी जा रही 45 योजनाओं में से नौ योजनाएँ जैसे एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (चावल), राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, तिलहन उत्पादन

कार्यक्रम, विभागीय फलोद्यान योजना, काजू विकास, नदी घाटी परियोजना, और बाढ़ प्रवृत्त नदी योजना, अल्प वर्षा क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय वाटर शेड विकास कार्यक्रम, लघु सिंचाई और इंदिरा खेत गंगा योजना को उनके निष्पादन निर्धारित करने के लिए नमूना जांच की गई थी।

एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (चावल)

धान राज्य की मुख्य फसल है जो खरीफ फसल के अंतर्गत समावेष्टित कुल क्षेत्रफल का लगभग 77 प्रतिशत स्थापित करता है। क्योंकि वर्ष 96-97 में धान फसल की 1369 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता 2807 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर की औसत राष्ट्रीय उत्पादकता से बहुत कम थी। आगामी पांच वर्षों में अर्थात् वर्ष 2000-2001 से धान की उत्पादकता को योजनाबद्ध तरीके से 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाना था।

उत्पादकता लक्ष्यों की अप्राप्ति

किये गये व्यय का विवरण, धान के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल इस का उत्पादन और खरीफ फसल में अल्प वर्षा वाले क्षेत्रफल में उत्पादकता निम्नानुसार थी :

तालिका - 2 धान उत्पादन

(इकाई क्षेत्रफल हजार में (हेक्टेयर) उत्पादन हजार मेट्रिक टन में)

वर्ष	कुल फसल क्षेत्रफल	धान के अंतर्गत लिया गया क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	आबंटन (लाख रुपये में)	व्यय
				(कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर)		
2000-2001	4569	3798	3494	919	223.77	164.63
2001-2002	4651	3585	5902	1646	126.17	125.17
2002-2003	4800	3469	2879	830	78.00	73.33

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पर्याप्त धन राशि उपलब्ध होने के बावजूद भी उत्पादकता का लक्ष्य (2000 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर) प्राप्त नहीं किया जा सका विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (फरवरी 2004)।

अधिक आर्थिक सहायता का भुगतान

यह पाया गया कि 2001-2002 के दौरान बीज उत्पादन एवं वितरण योजना के अंतर्गत 10093.75 क्विंटल प्रामाणिक बीज के वितरण पर किसानों को 20.19 लाख रुपये की अनुमत्य राशि के विरुद्ध 61.38 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का भुगतान कर 41.19 लाख रुपये अधिक का भुगतान किया गया।

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना

भारत सरकार द्वारा उन्नत किस्म के बीजों एवं उन्नत तकनीक को अंगीकार करते हुए दलहनों का उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए (1986) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत बीज उत्पादकों

41.19 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का अधिक भुगतान

और किसानों को विभिन्न घटकों के माध्यम से प्रोत्साहन दिये गये थे। यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से 75 : 25 के आधार पर वित्त पोषित था।

2000-2003 के दौरान राज्यवार कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल दलहनों का उत्पादन और उत्पादकता खरीफ और रबी के साथ साथ व्यय निम्नानुसार थे।

तालिका - 3 दलहन उत्पादन

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर, उत्पादन हजार टन, उत्पादकता कि.ग्रा./हेक्टेयर)

वर्ष	राज्य में कुल फसल का क्षेत्रफल	कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल (प्रतिशत)	उत्पादन	उत्पादकता	आबंटन व्यय	
					(लाख रुपये में)	
2000-2001	4569	601 (13)	316	525	32.27	28.02
2001-2002	4651	1149 (25)	687	597	80.00	71.40
2002-2003	4800	1041 (22)	626	601	60.00	46.95

खरीफ और रबी फसलों में राज्य में दलहन फसल के अंतर्गत क्षेत्रफल 13 से 25 प्रतिशत के मध्य था। 2000-2003 के दौरान राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत विभिन्न दलहनों की उत्पादकता केवल न्यूनतम वृद्धि दर्शाती है।

परिशिष्ट - XXVIII में दी गई 2001-2003 की अवधि हेतु इस परियोजना के अंतर्गत घटक वार भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों को निम्नानुसार प्रकट करता है :

बीज घटक को उचित महत्व न दिया जाना

भारत सरकार के 1.47 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से 50.50 लाख (चौंतीस प्रतिशत) बीज मद के अंतर्गत उपयोग किया जाना था, लेकिन 2001-2003 के दौरान बीज मद पर 26.07 लाख रुपये (18 प्रतिशत) का वास्तविक उपयोग किया गया था। इस प्रकार बीज मद को निर्धारित महत्व न दिये जाने से दलहन उत्पादन कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

बीज ग्राम योजना घटक के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य पंजीकृत बीज उत्पादकों/किसानों के द्वारा बुनियादी बीज को प्रमाणित बीजों में बदलना था, इस घटक के अंतर्गत 2001-2003 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 17.00 लाख रुपये के विरुद्ध मात्र 1.67 लाख रुपये (10 प्रतिशत) उपयोग किये गये थे। परिणामस्वरूप इस योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम

तिलहन उत्पादन का उद्देश्य क्षेत्रफल का विस्तार और उसकी उत्पादकता वृद्धि द्वारा तिलहन का उत्पादन बढ़ाना है। कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत किसानों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये गये थे।

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 2000-2003 के दौरान राज्य में समावेशित क्षेत्रफल, उत्पादन और प्राप्त उत्पादकता तथा किये गये व्यय निम्नानुसार थे :

तालिका - 4 तिलहन उत्पादन

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

वर्ष	राज्य में कुल फसल क्षेत्रफल	तिलहन के अंतर्गत उपयोग किया गया क्षेत्रफल (प्रतिशत)	उत्पादन (हजार मेट्रिक टन)	उत्पादकता कि.ग्रा./हेक्टेयर	व्यय (लाख रुपये में)
2000-2001	4569	342 (07)	155	454	45.53
2001-2002	4651	563 (12)	257	457	131.49
2002-2003	4800	479 (10)	264	552	72.09

प्रमाणित बीजों के अपर्याप्त वितरण/ उत्पादन के कारण कार्यक्रम का अनुचित क्रियन्चयन

उपरोक्त तालिका से यह दृष्टिगोचर होता है कि 2000-2003 के दौरान कुल फसल क्षेत्रफल का 7 से 12 प्रतिशत के मध्य क्षेत्रफल उपयोग में लाया गया। तथापि 2000-03 के दौरान 2.49 करोड़ रुपये व्यय किये जाने के बावजूद भी उत्पादकता में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई थी।

2000-2001 से 2002-2003 की अवधि हेतु भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों के संबंध में घटक वार लक्ष्य और उपलब्धियाँ **परिशिष्ट -XXIX** में दी गई हैं।

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में यह पाया गया कि निम्नलिखित घटकों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया।

- भारत सरकार द्वारा 2.40 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से 0.80 करोड़ रुपये (33 प्रतिशत) का बीज मद के अंतर्गत उपयोग किया जाना था। तथापि, 2001-2003 के दौरान केवल 34.29 लाख रुपये (14 प्रतिशत) का व्यय किया गया। इसके परिणामस्वरूप बीज घटक पर किसानों को सहायता नहीं दी गई।
- बीज ग्राम योजना के अंतर्गत प्रमाणित बीज के 7400 क्विंटल के उत्पादन (भारत सरकार के लक्ष्य) हेतु निधियों (37 लाख रुपये) की उपलब्धता के बावजूद केवल 12.85 क्विंटल (नगण्य) उत्पादित किये गये।
- बीज उपचार घटक के अंतर्गत 100 रुपये प्रति हेक्टेयर से किसानों को आर्थिक सहायता देय थी। परन्तु 18043 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोये गये बीजों पर 18.04 लाख रुपये की अनुमत्य राशि की विरुद्ध 26.02 लाख रुपये की लागत से उपचारित कर आर्थिक सहायता के रूप में 7.98 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया।

बीज उपचार पर 7.98 लाख रुपये का अधिक व्यय

बीज मिनीकिटों का वितरण

मिनीकिट वितरण का उद्देश्य किसानों के मध्य उच्च उपज के बीजों की नवीनतम किस्म का परिचय एवं लोकप्रिय करना था। इस हेतु अग्रिम रूप में हितग्राहियों की पहचान और जनपद पंचायत की कृषि समिति के माध्यम से बुवाई के मौसम के पूर्व चयन किया जाना था। संचालक को भारत सरकार से प्राप्त मिनी किटों के उचित

भण्डारण एवं समय पर उसका वितरण सुनिश्चित करना था। क्षेत्रीय इकाइयों से पश्चभरण (फीड बैंक) प्राप्त होने पर संचालनालय स्तर पर नवीन बीज की किस्म के परिणामों का विश्लेषण करना था।

बीज मिनीकिटों के वितरण की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पायी गई :

दस वर्षों से अधिक पुरानी बीज की किस्मों की 5.44 लाख रुपये मूल्य की बीज मिनीकिटों का अनियमित वितरण

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए मिनी किटों में दस वर्षों के अंदर अधिसूचित बीज किस्में सन्निहित थी इसके विपरीत दस वर्षों से परे अधिसूचित किस्म के बीजों की 5.44 लाख रुपये मूल्य की 3746 मिनीकिट्स का वितरण किसानों में किया गया।

2001-2003 के दौरान सरगुजा और रायपुर जिलों में बुवाई का मौसम व्यतीत होने के बाद अक्टूबर के स्थान पर दिसम्बर में चना और सरसों बीज की मिनीकिटों का वितरण किसानों को किया गया। इन बीजों की मिनीकिटों के परिणाम भी निर्धारित नहीं किये जाने से नवीनतम बीज किस्म के लोकप्रिय करने का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हुआ।

विभागीय फलोद्यान योजना पर निष्फल व्यय

आम पौध रोपण

किसानों की फलों के बगीचों से आय अर्जित करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने एक विभागीय फलोद्यान योजना प्रारंभ की (सितम्बर 1990)। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को अनुदान की 50 प्रतिशत राशि प्रथम वर्ष में दो किस्तों में पौधों और पौधा रोपण कार्यों के लिए भुगतान किया जाना था और शेष राशि पौधों के रखरखाव हेतु बाद के चार वर्षों में द्वितीय श्रेणी अधिकारी के सत्यापन उपरांत तथा पौधों के 90 प्रतिशत जीवित होने की दशा में भुगतान किया जाना था।

नमूना जांच किये गये जिलों के उप संचालक उद्यानिकी/सहायक संचालक, उद्यानिकी के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2000-2003 के दौरान प्रथम वर्ष में केवल 1722 चिन्हित किसानों¹⁸ को पौध रोपण सामग्री तथा अन्य आदानों पर 59.89 लाख रुपये राशि का अनुदान वितरित किया गया। तथापि, क्षेत्रीय इकाइयों से क्षेत्र सत्यापन के पश्चात रोपण सामग्री के समुचित उपयोग और पौधों की जीवितता संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। इस प्रकार आय वृद्धि का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ और किया गया व्यय निष्फल रहा।

¹⁸ जगदलपुर - 10.89 लाख रुपये (289), बिलासपुर - 3.97 लाख रुपये (139), रायपुर - 7.40 लाख रुपये (218) अम्बिकापुर - 37.63 लाख रुपये (1076)

काजू विकास

आम और काजू पौध रोपण पर 86.74 लाख रुपये का निष्फल व्यय

इसी प्रकार बस्तर जिले में 2000-2003 के दौरान 407.89 हेक्टेयर में काजू के कलम किये पौधों के पौध रोपण हेतु 475 हितग्राहियों को पौध एवं अन्य के वितरण हेतु 26.85 लाख रुपये का व्यय किया गया। किसानों को अनुसूचना हेतु अनुवर्ती वर्ष में अनुदान भुगतान नहीं किया गया न ही अनुवर्ती कार्यवाही हेतु कदम उठाया गया। परिणामस्वरूप इस आय अर्जन योजना का प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सका। इसकी लाभप्रदता का निर्धारण किये बिना धन का व्यय किया जाना आपत्तिजनक है और किसानों की भी दुर्दशा हेतु उदासीनता दर्शाता है।

सहायक संचालक उद्यान ने बताया (जून 2003) कि 90 प्रतिशत से कम जीवितता होने के कारण संचालक से बाद के वर्षों में कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई। यद्यपि, इन पौधों की जीवितता की कोई भी जानकारी संचालक को प्रस्तुत नहीं की गई। उत्तर संदेहास्पद प्रतीत होता है। हितग्राहियों पर पौध रोपण का प्रभाव भी निर्धारित नहीं किया जा सका।

शासकीय उद्यानों और कृषि प्रक्षेत्रों की उपलब्धि

सरकार ने उद्यानों और कृषि प्रक्षेत्रों की स्थापना क्रमशः उच्च गुणवत्ता की पौध सामग्री, शाक और फसल बीज के उत्पादन और उद्यान एवं कृषि में नवीन तकनीकी का प्रसार करने की दृष्टि से की गई थी। शासन के निर्देशानुसार उद्यान और प्रक्षेत्र को बिना लाभ-हानि के कार्य करना था।

शासकीय उद्यानों/प्रक्षेत्रों के संचालन पर 2.46 करोड़ रुपये की हानि

बस्तर, बिलासपुर, रायपुर और सरगुजा जिलों के 34 उद्यानों के अभिलेखों और एकत्रित जानकारी एवं अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि उद्यानों के रखरखाव और मजदूरी पर 2000-2003 के दौरान 2.65 करोड़ रुपये का व्यय किया गया, परन्तु इन उद्यानों से प्राप्ति के रूप में केवल 1.03 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए। इस प्रकार 1.62 करोड़ रुपये की हानि हुई (परिशिष्ट - XXX)

उप संचालक उद्यान/सहायक संचालक उद्यान (मई और जून 2003) ने सिंचाई सुविधाओं की कमी, मजदूरी का बढ़ना, उद्यानों, की अनुपयुक्त मिट्टी तथा सामग्री की कीमतों में वृद्धि को उद्यानों में हानि के कारण बताये।

इसी प्रकार पाँच प्रक्षेत्रों¹⁹ के संचालन में भी 84.33 लाख रुपये की संचयी हानि परिलक्षित हुई।

उप संचालक कृषि ने पुनः बताया (मई और जून 2003) कि सूखा, बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा प्रक्षेत्र उत्पादों का कम मूल्यांकन करना, प्रक्षेत्रों में फेंसिंग की कमी और माल तैयार करने वाली इकाईयों को प्रक्षेत्र उत्पादों के परिवहन में अधिक लागत के

¹⁹ 1999-2000 तक 17.67 लाख रुपये केरलापाल बस्तर, 5.55 लाख रुपये शिशाल प्रक्षेत्र बिलासपुर 2001-2002, 8.61 लाख रुपये गरियाबंद 1998-99, 25.93 लाख रुपये खार्री बिलारी रायपुर - 2000-2001 और 1999-2000 तक 26.57 लाख रुपये चतला सीतापुर, अम्बिकापुर (सरगुजा)

कारण हानि हुई। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्पादन निर्धारित मानदण्ड से कम था। इस प्रकार प्रक्षेत्र प्रमाणित बीजों की मांग पूर्ण करने और किसानों में तकनीकी प्रचार में असफल रहे।

बस्तर जिले में तीन उद्यानों के संचालन में अनधिकृत व्यय

तीन गैर स्वीकृत उद्यानों पर 16.87 लाख रुपये का अनियमित व्यय

जिला योजना मंडल (बस्तर) और अबूझमाड विकास प्राधिकरण द्वारा क्रमशः दो उद्यान फरसगांव और ट्योसा और एक उद्यान ओरछा में स्थापित किये गये (1989-90), 1999 में संयुक्त संचालक जगदलपुर के आदेशों के अनुसार उनके रखरखाव सहायक संचालक, उद्यान, जगदलपुर द्वारा लिया गया। लेकिन शासन से किसी भी प्रकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जबकि इसमें एक अतिरिक्त संचयी दायित्व शामिल था।

यद्यपि सहायक संचालक उद्यान, जगदलपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2000-03 के दौरान उद्यानों के रखरखाव पर 16.87 लाख रुपये²⁰ का व्यय किया गया था। सहायक संचालक उद्यान ने उत्तर में बताया (जून 2003) कि अतिरिक्त संचालक के अधिकार संयुक्त संचालक उद्यान जगदलपुर को प्रत्यायोजित किये गये थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त व्यय के नियमितीकरण हेतु शासन से स्वीकृति प्राप्त की जानी थी।

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली

मिट्टी की कमियों के विश्लेषण और किसानों को उर्वरकों की सही मात्रा की अनुशंसा हेतु मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी।

प्रयोगशालाओं द्वारा मिट्टी परीक्षण की लक्षित संख्या का परीक्षण न करने के कारण 31,727 किसान तकनीकी सलाह से वंचित रहे

बिलासपुर, जगदलपुर और रायपुर में स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 2000-2003 की अवधि के दौरान इन प्रयोगशालाओं में क्षेत्रीय इकाइयों से 76500 मिट्टी नमूनों लक्ष्य के विरुद्ध केवल 57124 मिट्टी नमूने प्राप्त किये गये थे। उनमें से 2000-2003 के दौरान 44773 मिट्टी के नमूने विश्लेषित किये गये और 12351 नमूने (22 प्रतिशत) अविश्लेषित रहे। इस प्रकार मिट्टी के नमूनों के कम संग्रहण एवं अपरीक्षण के कारण 31727 किसान इन प्रयोगशालाओं की तकनीकी सलाह से वंचित रहे थे।

बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों एवं कृमि नाशकों की गुणवत्ता नियंत्रण

बीज उर्वरक इत्यादि की निष्प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली

कृषि विभाग राज्य में उपयोग किये गये बीजों उर्वरकों, कीटनाशकों एवं कृमिनाशकों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु उत्तरदायी था। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु खण्ड स्तर के अधिकारियों द्वारा नमूने लेकर विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला में भेजे जाने थे।

नमूना जांच किये गये जिलों के प्रयोगशाला विश्लेषण के समेकित प्रतिवेदनों की संवीक्षा में पाया गया कि 2000-2003 के दौरान किये गये 13 बीज नमूने (471 में से), 68 उर्वरकों के नमूने (1731 में से) 58 कीटनाशक/ कृमिनाशक नमूने अवमानक

²⁰

4.62 लाख रुपये फरसगांव, 8.42 लाख रुपये ट्योसा एवं 3.83 लाख रुपये ओरछा

स्तर के पाये गये थे। अवमानक स्तर के बीजों, उर्वरकों और कृमिनाशक के समस्त स्कंध जल करने के स्थान पर व्यापारियों को साधारण चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इन व्यापारियों के लायसेंस / पंजीकरण निलंबित/निरस्त नहीं किये गये थे और न्यायालय में प्रकरण दर्ज नहीं किये गये थे। इसके विपरीत व्यापारियों द्वारा अवमानक स्कंध विक्रय किये गये थे।

इस प्रकार 2000-2003 के दौरान बिलासपुर और सरगुजा जिलों के किसानों को 3330 मैट्रिक टन अवमानक उर्वरक विक्रय किये गये थे।

3.1.6 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवृत्त नदी योजना

वानस्पतिक परिमाणों एवं कृषि वानिकी के अनिष्पादन से वाटर शेड परियोजना के अंतर्गत कम क्षेत्र उपचारित किया गया

वाटर शेड क्षेत्र में उजाड़ भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, भूमि कटाव को न्यूनतम करने और जलाशयों में मिट्टी जमा होने को रोकने, भूमि की क्षमता बढ़ाने एवं नमी रोकने की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए तृतीय और छठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवृत्त नदी योजनाएँ प्रारंभ की गयी थी। वानस्पतिक उपायों को उच्च प्राथमिकता दी जानी थी।

सहायक भू-संरक्षण अधिकारी पेन्द्रा रोड बिलासपुर द्वारा निष्पादित वाटर शेड परियोजना बी.एस. 3 डब्ल्यू. के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 2000-2003 के दौरान 42.20 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 1130 हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 27.96 लाख रुपये व्यय करने के पश्चात केवल 290 हेक्टेयर उजाड़ भूमि का उपचार किया जा सका। यद्यपि भू-संरक्षण संभाग द्वारा वानस्पतिक उपायों एवं कृषि वानिकी कार्यों की पूर्णतया उपेक्षा की गई थी।

सहायक भू-संरक्षण अधिकारी ने बताया (मई 2003) कि समय पर आबंटन प्राप्त न होने के कारण वानस्पतिक कार्य क्रियान्वित नहीं किया जा सका। उत्तर दर्शाता है कि सहायक भू-संरक्षण अधिकारी उपलब्ध निधियों के अनुसार कार्य की योजना तैयार करने में असफल रहा।

अतिवृष्टि क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना

वाटरशेड परियोजना का उद्देश्य फसलों का विकास बढ़ाने के लिए भूमि, पानी, पौधे, पशु और मानव संसाधन जैसे प्राकृतिक प्रबंधनों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण सुधार और उपयोग करना था। नवमी पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में, अब छत्तीसगढ़ राज्य में, 189.96 करोड़ रुपये की लागत से 5,42,751.50 हेक्टेयर भूमि उपचार हेतु 131 वाटरशेड परियोजनाएँ स्वीकृत की गई थी। इसके विपरीत मार्च 2002 तक 99,492 हेक्टेयर (18 प्रतिशत) भूमि के उपचार पर 34.82 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे।

मानदण्ड के अनुसार मूल क्रियाकलापों पर परियोजना की लागत 35 प्रतिशत, भूमि एवं जल संरक्षण पर 40 प्रतिशत, उत्पादन प्रणाली 20 प्रतिशत एवं घरेलू क्रियाकलापों पर 5 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया जाना था।

अन्य क्रियाकलापों से निधियाँ परिवर्तित कर भू और जल संरक्षण पर 2.58 करोड़ रुपये का अधिक व्यय

अनुसंधान कार्य हेतु भुगतान किये गये 60.05 लाख रुपये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास अनुपयोगी पड़े रहना

संवीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त मानदण्ड के विपरीत अन्य क्रियाकलापों से 2.58 करोड़ रुपये व्ययपरिवर्तित कर उक्त मद के अंतर्गत 16.51 करोड़ रुपये (47 प्रतिशत) का व्यय भू एवं जल संरक्षण पर 13.93 करोड़ रुपये की अनुमत्य राशि के विरुद्ध था।

उपसंचालक कृषि रायपुर ने वाटरशेड परियोजना पर अनुसंधान कार्य हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को 86 लाख रुपये अनुदान के रूप में भुगतान किया (मार्च 1998) इसमें से केवल 25.95 लाख रुपये का उपयोग किया गया और परियोजना अवधि की समाप्ति (मार्च 2002) के पश्चात भी 60.05 लाख रुपये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पास पड़े हुए थे। परन्तु भारत सरकार को सम्पूर्ण राशि 86 लाख रुपये का उपयोग सूचित किया गया था।

3.1.7 लघु सिंचाई

राज्य में सिंचाई सुविधाओं हेतु केवल 11.46 लाख हेक्टेयर भूमि उपलब्ध थी। अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिकतर मानसून पर निर्भर फसलें उगाई जाती हैं। विभाग का एक मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं का विकास करना है। लेखा परीक्षा संवीक्षा में निम्नानुसार पाया गया :

असफल नलकूपों पर निष्फल व्यय

असफल नलकूपों पर 42.52 लाख रुपये का निष्फल व्यय

2000-2003 के दौरान लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को 8.22 लाख रुपये तथा इंदिरा खेत गंगा योजना के अंतर्गत 34.30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता क्रमशः 111 एवं 267 असफल नलकूपों पर भुगतान किया गया। नलकूपों की असफलता का मुख्य कारण इन योजना में नलकूप खनन हेतु निर्दिष्ट विशिष्टताओं के अंतर्गत अपेक्षित रेसिस्टिविटी सर्वे (भूगर्भीय सर्वेक्षण) का वाक्यांश शामिल न करना था।

सूक्ष्म लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत निष्फल व्यय

लघु सिंचाई योजना का उद्देश्य भू-जल को बढ़ाना और सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत भूमि-संरक्षण इकाइयों द्वारा लघु सिंचाई तालाबों का निर्माण किया जाना था।

20 सिंचाई तालाबों (दिसम्बर 2002 तक स्वीकृत) को समय सारिणी के अनुसार तीन माह में पूर्ण किये जाने थे, परिशिष्ट - XXXI में दिये गये विवरणानुसार अपूर्ण थे। छः जिलों में मार्च 2003 तक 87.07 लाख रुपये व्यय किये गये थे। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने उत्तर में बताया (मई एवं जून 2003) कि आबंटन प्राप्त न होने के कारण ये कार्य समय पर पूर्ण नहीं किये जा सके।

3.1.8 मानव संसाधन प्रबंधन

संचालनालय स्तर पर कृषि विभाग की संरचना को शासन द्वारा 1 जनवरी 2003 को अंतिम रूप दिया गया था। परन्तु शासन द्वारा क्षेत्रीय संगठनों की संरचना को अंतिम रूप अभी दिया जाना है।

स्वीकृत संख्या से अधिक अमले का रखा जाना

अधिक अमले के 10.99 लाख रुपये के वेतन एवं भत्तों का अनियमित आहरण

वेतन पत्रकों की संवीक्षा में पाया गया कि सहायक भू-संरक्षण अधिकारी, बिलासपुर में एक कृषि विकास अधिकारी बिना स्वीकृति के पदस्थ था (अप्रैल 2001)। इसके अतिरिक्त सहायक भू-संरक्षण अधिकारी बिलासपुर में एक मानचित्रकार और सहायक संचालक उद्यान जगदलपुर में पाँच से छः माली स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थ थे और उनके वेतन एवं भत्तों पर 10.99 लाख²¹ रुपये का अनियमित आहरण किया गया था।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने अपने उत्तर में बताया (मई एवं जून 2003) कि उप संचालक कृषि/संचालक के आदेशों के अनुसार वेतन एवं भत्ते आहरित किये गये थे।

अन्य विभाग में अमले का अनियमित संलग्नीकरण

निष्क्रिय/संलग्न अमले पर 55.57 लाख रुपये का व्यय

सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार (मई 1997) जिलाध्यक्ष को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के किसी भी शासकीय कर्मचारी को एक विभाग से दूसरे में अधिकतम केवल एक वर्ष की अवधि के लिए संलग्न करने के अधिकार थे। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि उपसंचालक कृषि के 14 कर्मचारी (अम्बिकापुर-1, जगदलपुर-1, रायपुर-12) और सहायक संचालक उद्यान जगदलपुर का एक कर्मचारी विभिन्न कार्यालयों²² में संलग्न थे और संबंधित कार्यालयों द्वारा नवम्बर 2000 से मार्च 2003 के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों की 14.94 लाख रुपये का अनियमित रूप से भुगतान किया गया।

निष्क्रिय अमले पर निष्फल व्यय

लेखा परीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि आठ चालक²³, छः कर्मचारी सिनेमा वाहन के साथ संलग्न थे और आठ कर्मचारी दो माली प्रशिक्षण केन्द्रों (बिलासपुर एवं जगदलपुर) में नवम्बर 2000 से मार्च 2003 तक वाहनों के निपटान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों में नियमित प्रशिक्षण न दिये जाने के कारण बिना कार्य के रहे। इन कर्मचारियों की सेवायें अभाव वाली इकाइयों में उपयोग करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार उनके वेतन एवं भत्तों पर किया गया 40.63 लाख रुपये का व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

²¹ 4.79 लाख रुपये फरवरी 2001 से मार्च 2003 के दौरान सहायक भू-संरक्षण अधिकारी बिलासपुर और 6.20 लाख रुपये 2000-2003 के दौरान सहायक संचालक उद्यान, जगदलपुर

²² जिला शिक्षा केन्द्र अम्बिकापुर (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जगदलपुर (1) जिलाध्यक्ष कार्यालय जगदलपुर (1) एवं मंत्रालय, स्टेट मैरेज तथा जिला पंचायत रायपुर (12)

²³ सहायक भू संरक्षण अधिकारी अम्बिकापुर-1, सहायक संचालक उद्यान अम्बिकापुर-1, उप संचालक कृषि बिलासपुर-3 और सहायक संचालक उद्यान जगदलपुर-3

3.1.9 भण्डार प्रबंधन

भण्डार एवं स्कन्ध लेखाओं का संधारण न करना

संवीक्षा में पाया गया कि उप संचालक कृषि²⁴ द्वारा भण्डार एवं स्कन्ध लेखे तैयार नहीं किये गये थे। उप संचालक कृषि ने अपने उत्तरों में बताया (मई एवं जून 2003) कि वार्षिक भण्डार और स्कन्ध लेखे तैयार कर संचालक को प्रस्तुत किये जावेंगे। इस प्रकार वार्षिक भण्डार एवं स्कन्ध लेखों के संधारण नहीं करने के कारण भण्डार में कमी और शासन को किसी अन्य हानि की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त सहायक कृषि यंत्री, रायपुर के भण्डार एवं स्कन्ध लेखाओं की संवीक्षा में पाया गया कि 50.50 लाख रुपये मूल्य की (4 डोजर, 1 फास्ट रिंग मशीन, 2 ट्रेक्टर और एक पावर टिलर) अनुपयोगी पाये गये। अपलेखन की कार्यवाही अभी तक प्रारंभ नहीं की गई थी (जुलाई 2003)।

विभाग की उद्यानिकी शाखा द्वारा भण्डार एवं स्कन्ध लेखा तैयार नहीं किया गया था।

3.1.10 रूचिकर अन्य बिन्दु

बैंको, विद्युत मंडल और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में असमायोजित लम्बित राशि

बैंको, म.प्र.विद्युत मंडल और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में 36.42 लाख रुपये पड़े हुए थे।

उप संचालक कृषि जगदलपुर, दन्तेवाड़ा रायगढ़ और राजनांदगांव द्वारा लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता के भुगतान हेतु बैंको को भुगतान किये गये 22.50 लाख रुपये 1984-85 से असमायोजित पड़े थे।

इसी प्रकार उप संचालक कृषि जगदलपुर, दन्तेवाड़ा, जांजगीर और राजनांदगांव द्वारा पम्पसेटों के विद्युतीकरण हेतु विद्युत मंडल को भुगतान किये गये 8.96 लाख रुपये (1993-97) और जिला ग्रामीण विकास अधिकरण राजनांदगांव को वैसे ही उद्देश्य के लिए 4.96 लाख रुपये जुलाई 2003 की स्थिति में असमायोजित पड़े हुए थे।

आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा की कार्य प्रणाली

क्षेत्रीय इकाइयों की लेखा परीक्षा निष्पादित करने हेतु विभाग में आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा कार्यशील है। संचालनालय स्तर पर आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के निष्पादन और संभाग स्तर पर क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालयों में पदस्थ अमले के कार्यों की परिवीक्षा में लगाया गया है। परन्तु आंतरिक लेखा परीक्षा का विद्यमान प्रबंधन अपर्याप्त था क्योंकि नवम्बर 2000 से मार्च 2003 के दौरान लक्षित 235 इकाइयों के विरुद्ध केवल 145 क्षेत्रीय इकाइयों की लेखा परीक्षा की गई।

²⁴ बस्तर 1991-92 से बिलासपुर 2000-2001 से रायपुर 1998-99 से और सरगुजा 1997-98 से

लेखा परीक्षा आपत्तियों पर बहुत कम प्रतिक्रिया

गंभीर वित्तीय और अन्य अनियमितताओं पर लेखा परीक्षा आपत्तियां जो स्थानीय लेखा परीक्षा के दौरान निर्णीत नहीं की जा सकी, निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से कार्यालय प्रमुख एवं आगामी उच्चाधिकारियों को सूचित की गई थी। मार्च 2003 के अंत में 1981-82 से 2002-2003 तक की अवधि के 286 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सन्निहित 951 कंडिकायें अनुपालन हेतु लम्बित थे। इनमें से 242 कंडिकाएं विभाग प्रमुख और 108 कंडिकाएं शासन को उनकी टिप्पणी हेतु संदर्भित की गई थी। इस प्रकार विभाग लंबित कंडिकाओं पर समय से कार्यवाही सुनिश्चित करने में असफल रहा।

3.1.11 परिवीक्षण और मूल्यांकन

योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभाव के निर्धारण हेतु क्षेत्रीय परिवीक्षण नियमित ढंग, परिणाम जनित एवं तीव्रता से करना आवश्यक था। योजनाओं/कार्यक्रमों का परिवीक्षण मासिक प्रगति प्रतिवेदनों से किया गया था जो संचालनालय स्तर पर विश्लेषित नहीं की गई थी।

3.1.12 निष्कर्ष

बजटीय एवं वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता कम थी। जनशक्ति प्रबंधन अपर्याप्त था और अमले का नियोजन अनुचित था। कार्यक्रम प्रबंधन अप्रभावशाली था क्योंकि 1996-97 में 1369 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर से 830 किलोग्राम/प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता गिरावट आई थी। दलहनों और तिलहनों की उत्पादकता अधिकतर स्थिर रहीं। बीज मिनीकिटों और विकास खण्ड प्रदर्शन के प्रभाव निर्धारित नहीं किये गये थे। यद्यपि विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता निर्धारित करने हेतु कोई यंत्रावली संस्थान नहीं था। परिणामतः कार्यक्रम क्रियान्वयन में कोई विचलन अथवा मध्यावधि सुधार नहीं किया जा सका।

पर्यवेक्षण की कमी के कारण कृषि प्रक्षेत्र और उद्यान लगातार भारी हानि में चल रहे हैं। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं और प्रशिक्षण केन्द्रों की कार्य क्षमता बहुत कम थी। बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था अप्रभावशाली थी। योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया था। इस प्रकार 311.29 करोड़ रुपये व्यय करने के उपरान्त भी जोत क्षेत्र का विस्तार और अनाज, चावल, दलहन और तिलहन के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के दोनों लक्ष्य की प्राप्ति नहीं किये जा सके।

3.1.13 अनुशासणं

- बजटीय नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता को मजबूत किये जाने की आवश्यकता है।
- प्रबंधन में विभिन्न प्रकार के बीजों की नवीनतम किस्म की व्यवस्था और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए गोबर तथा रासायनिक खादों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित प्रयास करना आवश्यक है।
- वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बीज मिनी किटों के वितरण और विकास खण्ड प्रदर्शनों के आयोजन के प्रभाव की क्रमशः निर्धारण करना आवश्यक है। गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए।
- नियमित और मध्यावर्धि मूल्यांकन व्यवस्था प्रारंभ की जानी चाहिए और क्रियान्वयन की प्रगति का सख्ती के साथ परिवीक्षण करना चाहिए जिससे कि दो लक्ष्य जोत क्षेत्र का विस्तार और चावल, अनाज, दलहन और तिलहन के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के दोनों लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.2 राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम

विशेषताएं

एड्स (एक्वाइरड इम्यूनो डेफिशैन्सी सिंड्रोम) एक विषाणु के द्वारा फैलता है जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशैन्सी रेट्रो वाइरस (एच.आई.वी.) के नाम से जाना जाता है। इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना प्रथम चरण में सितम्बर 1992 से मार्च 1999 और रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नवम्बर 1999 से पांच वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय चरण की एक केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रारंभ की गई। तथापि, उच्च जोखिम समूहों में संक्रमण को कम करने, लक्षित जन संख्या की पहचान, परामर्श देने, निरोध को बढ़ावा देने तथा लैंगिक संप्रेषित रोगों के उपचार से संबंधित पहलू नहीं लिये गये थे। छत्तीसगढ़ एडस नियंत्रण संस्था रायपुर द्वारा 2001-2003 के दौरान कार्य योजना में दी गई निधियों का केवल 37 प्रतिशत (2.47 करोड़ रुपये) का ही उपयोग किया जा सका। फरवरी 2002 के दौरान केवल कुल लक्षित अनुमानित जनसंख्या 18 प्रतिशत ही (15-49 वर्ष) परिवार स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों में उपस्थित हुए थे। पांच जिलों में 41 से 100 प्रतिशत की सीमा तक हैपीटाइटिस सी की अनिवार्य रक्त स्क्रीनिंग जांच की थी। वर्ष 2002 में स्वैच्छिक रक्त संग्रहण लक्ष्य में 47 प्रतिशत की कमी थी अन्य कमियाँ भी जानकारी में आई थी।

संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर को परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान हेतु आबंटित 49.00 लाख रुपये मई 2001 से अनुपयोगी पड़े थे। इस अवधि के दौरान कोई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.2.5)

6 जिलों में इस उद्देश्य हेतु 15.30 लाख रुपये विमुक्त किये जाने के बावजूद लैंगिक संप्रेषित रोग चिकित्सालय कार्यशील नहीं थे।

(कंडिका 3.2.6)

छत्तीसगढ़ एडस नियंत्रण संस्था रायपुर द्वारा गेरू पेंटिंग इस्तहार लगाने और मुद्रित सामग्री की प्राप्ति एवं वितरण से संबंधित कार्य के निष्पादन का सत्यापन किये बिना 29.17 लाख रुपये व्यय किये गये।

(कंडिका 3.2.6)

सात जिलों में आधुनिकतम ब्लड बैंक स्थापित नहीं किये गये थे यद्यपि इस उद्देश्य हेतु 35.00 लाख रुपये के अनुदान दिये गये थे।

(कंडिका 3.2.6)

प्लेट लेट इन्व्यूबेटर 10 के.व्ही.ए.का जेनरेटर प्राप्त न करने एवं लाइसेंस के अभाव के कारण रक्त घटक विछोह इकाई में 19.64 लाख रुपये मूल्य के उपकरण निष्क्रिय पड़े थे।

(कंडिका 3.2.6)

3.2.1 प्रस्तावना

एड्स ह्यमन इम्यूनो डेफिशैन्सी रेट्रो वाइरस (एच.आई.वी.) के साथ एक जीवन की असहनीय दशा है जो संक्रमण की अंतिम चिकित्सीय चरण को प्रदर्शित करती है। यहाँ अभी तक कोई उपचार या टीका नहीं है। एच.आई.वी. विषाणु संप्रेषण यौन संबंधों से (समलैंगिक, उभय लैंगिक अथवा साधारण मैथुन), दूषित रक्त नीडलों एवं सुइयों के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के खून के खून संप्रेषण द्वारा तथा संक्रमित माँ से शिशु में संप्रेषण आदि से होता है।

1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एक केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में एच.आई.वी./ एड्स, एच.आई.वी., हेतु रक्त की स्क्रीनिंग एवं वैयक्तिक आदतन उच्च जोखिम आचरणों के परीक्षण हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए प्रारंभ की गई थी। एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सितम्बर 1992 से मार्च 1999 तक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना चरण I क्रियान्वित किया गया था। नवम्बर 1999 से पांच वर्ष की अवधि हेतु चरण II (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम II) क्रियान्वित किया गया था और अक्टूबर 2004 तक पूर्ण होने की आशा थी। ये दोनों कार्यक्रम शत प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं हैं।

3.2.2 परियोजना के उद्देश्य

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम II के मुख्य उद्देश्य (1) भारत में एच.आई.वी. के संक्रमण के फैलाव को कम करना (2) दीर्घ कालीन आधार पर एच.आई.वी.एड्स से लड़ने की भारत की क्षमता बढ़ानी थी। परियोजना परिचालन में (क) उदीयमान चरण में महामारी वाले क्षेत्रों में वयस्क जनसंख्या के एक प्रतिशत से कम दर पर एच.आई.वी. प्रचलन को रखना (ख) एच.आई.वी. के रक्त जनित संप्रेषण को एक प्रतिशत से भी कम करना (ग) युवा एवं अन्य पुनरूत्पादक आयु वर्ग के मध्य 90 प्रतिशत से कम स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करना एवं (घ) व्यापारिक यौन कर्मियों इत्यादि जैसी उच्च जोखिम वर्गों के मध्य जो 90 प्रतिशत से कम नहीं, में निरोध उपयोग की उपलब्धि के लिए परामर्श देना था।

3.2.3 संगठनात्मक संरचना

भारत सरकार ने देश में एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्य हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन स्थापित किया। राज्य स्तर पर सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण संस्था रायपुर की संरचना की गई (मई 2001)। बाद में छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में अगस्त 2002 में गठित छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संस्था में यह संस्था मिला दी गई। छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण संस्था अब उप संस्था के रूप में कार्य कर रही है।

जिला स्तर पर जिला एड्स नियंत्रण संस्था जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन के माध्यम से कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती है। चिकित्सा महाविद्यालयों से संलग्न चिकित्सालय में कार्यक्रम का क्रियान्वयन अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय करते हैं।

3.2.4 लेखा परीक्षा समावेशन

लेखा परीक्षा में नवम्बर 2000 से मार्च 2003 की अवधि का समावेश कर योजना की समीक्षा की गई। नमूना जांच के लिए एड्स नियंत्रण क्रिया कलापों के लिए भारी धन राशि प्राप्त करने वाले पाँच घने बसे हुए जिले²⁵ चयनित किये गये थे। परियोजना संचालक छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण संस्था रायपुर, संचालक एड्स नियंत्रण संस्था बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा और अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के अभिलेखों की नवम्बर 2002 से सितम्बर 2003 की लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जांच में पाई गई महत्वपूर्ण आपत्तियों को अनुवर्ती कंडिकाओं में प्रमुखता दी गई है।

3.2.5 वित्तीय प्रबंधन

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा राज्य को बजट प्रावधानों के आधार पर राज्य एड्स कक्ष को मार्च 1999 तक अनुदान राज्य के वित्त विभाग के माध्यम से सीधे छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण संस्था को विमुक्त किये गये थे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा विमुक्त किये गये अनुदान और छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण संस्था रायपुर द्वारा सूचित किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार था :

तालिका -1

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अनुमोदित राशि		प्राप्त राशि			सूचित की गई राशि	अंतिम शेष	कार्य योजना के संदर्भ में कमियाँ
	राज्य बजट	कार्या योजना	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियाँ	योग			
2000-01	0.78	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	व्यपगत बजट
2001-02	1.94	--	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	व्यपगत बजट
		3.03	निरंक	1.29	1.29	0.87	0.42	71 प्रतिशत
2002-03	निरंक	3.70	0.42	1.85	2.27	1.60	0.67	57 प्रतिशत
योग		6.73	--	3.14	--	2.47	--	

घटक वार निधियों का आबंटन और किये गये व्यय परिशिष्ट - XXXII में दर्शाये गये हैं। आबंटन और व्यय के आंकड़े निम्नलिखित कमियाँ दर्शाते हैं।

अनुमोदित अनुदानों का 71 और 57 प्रतिशत उपयोग न करना

अनुमोदित अनुदानों का उपयोग न किया जाना : छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण संस्था द्वारा वर्ष 2001-2002 और 2002-2003 की कार्य योजना के लिए दिये गये अनुदानों का क्रमशः केवल 29 प्रतिशत (0.87 करोड़ रुपये) और 43 प्रतिशत (1.60 करोड़ रुपये) का उपयोग किया जा सका।

निधियों की विमुक्ति में विलम्ब

निधियों की विमुक्ति में विलम्ब : वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए नवम्बर 2001 में 50 लाख रुपये और मई 2002 में 21.00 लाख रुपये का अनुदान वित्तीय वर्ष की

²⁵ रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा एवं रायगढ़

समाप्ति के पश्चात विमुक्त किये गये। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात निधियों का विमुक्त करना बहुत ही अनियमित है और स्थापित वित्तीय दूरदर्शिता व्यवहार का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार से निधियों के विलम्बित विमुक्ति से विभिन्न योजनाबद्ध कार्यकलापों के क्रियान्वयन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर भी छत्तीसगढ़ राज्य एडस नियंत्रण संस्था ने संचालक एडस नियंत्रण संस्था को 2002-2003 के दौरान 4-5 माह विलम्ब के पश्चात निधियाँ विमुक्त की गयी।

छत्तीसगढ़ राज्य एडस नियंत्रण संस्था को हस्तांतरण/समायोजन हेतु अपेक्षित 86.48 लाख रुपये का अंत शेष

अव्ययित शेष : मध्य प्रदेश राज्य एडस नियंत्रण संस्था भोपाल के लेखाओं में छत्तीसगढ़ के जिलों / संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ, में अनुपयोगी / अव्ययित पड़े हुए 86.48 लाख रुपये को अंतिम शेष के रूप में दर्शाया गया (सितम्बर 2002)। अंतिम शेष छत्तीसगढ़ राज्य एडस नियंत्रण संस्था को हस्तांतरित / समायोजित नहीं किये गये थे क्योंकि जिलों/संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा शेषों की पुष्टि नहीं की गई थी। इस अंतशेष में से 49.04 लाख रुपये संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर में परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित न करने के कारण मई 2001 से पड़े हुए थे। संचालक एडस नियंत्रण संस्थाओं में 37.44 लाख रुपये का अवशेष था जिनमें से रायपुर और कांकेर के संचालक एडस नियंत्रण संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य एडस नियंत्रण संस्था को 1.29 लाख रुपये समर्पित किये गये थे (फरवरी 2004)।

अन्य घटक हेतु एक घटक के अनुदान का उपयोग

अनुदानों का विचलन : एक घटक के अनुदान को अन्य दूसरे घटक में उपयोग में नहीं लाना चाहिए परंतु यह पाया गया कि लैंगिक संप्रेषित रोग नियंत्रण हेतु दिये गये अनुदान में से परिवार कल्याण स्वास्थ्य जागरूकता अभियान हेतु संचालक एडस नियंत्रण संस्था रायपुर द्वारा 4.45 लाख रुपये उपयोग किये गये (1999-01) एवं संचालक एडस नियंत्रण संस्था दुर्ग ने ब्लड बैंक हेतु एक लाख रुपये व्यय किये (2002-2003) यद्यपि एच.आई.वी./एडस खतरे के विरुद्ध लैंगिक संप्रेषित रोग नियंत्रण एक निर्णायक तत्व है 1999-2003 के दौरान निधियों/अनुदानों के आबंटन के बावजूद इसे उपेक्षित किया गया।

संचालक एडस नियंत्रण संस्था सरगुजा और चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में पृथक लेखा अभिलेख संधारित नहीं किये गये

पृथक लेखा अभिलेखों का सम्यक संधारण न करना : क्रियान्वयन इकाइयों द्वारा बुक कीपिंग के दोहरी प्रविष्टि सिन्द्धान्त का उपयोग करते हुए पृथक परियोजना लेखा अभिलेख संधारित किये जाने चाहिए थे। संचालक एडस नियंत्रण संस्था सरगुजा और अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में उनके द्वारा पृथक से लेखा अभिलेखों का संधारण नहीं करना पाया गया। लेखे या तो सामान्य अभिलेखों या अन्य योजनाओं के साथ मिलाये गये थे। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत दर्ज किये गये व्यय की सत्यता संदेहास्पद है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अम्बिकापुर में विभिन्न योजनाओं के अवशेष को इस प्रकार मिला दिये गये कि न तो उन्हें पृथक्करण और न ही अंतिम अवशेषों को सुनिश्चित किया जा सकता है।

चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर द्वारा पृथक बैंक लेखा नहीं खोला गया

पृथक बैंक लेखा नहीं खोलना : इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु पृथक बैंक लेखा खोलना चाहिए था। तथापि अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर द्वारा कोई पृथक बैंक लेखा नहीं खोला गया। इसके स्थान पर निधियों को अन्य योजनाओं के साथ व्यक्तिगत जमा लेखों में रखा गया।

ये कमियाँ दर्शाती है कि योजना के बजट के सूचीकरण और वित्तीय प्रबंधन के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।

3.2.6 कार्यक्रम का क्रियान्वयन

➤ उच्च जोखिम समूह के लिए प्राथमिकता लक्षित हस्तक्षेप

प्राथमिकता लक्षित
हस्तक्षेप के घटक में
निधियों का कम उपयोग

परियोजना का उद्देश्य लक्षित जनसंख्या की पहचान कर समतुल्य सलाह देकर निरोध को बढ़ाना, लैंगिक संक्रमित संक्रमणों का उपचार और ग्राहक कार्यक्रमों द्वारा जोखिम समूहों में एच.आई.व्ही. की गति को कम करना है। इन क्रिया कलापों के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजनाओं में 2001-2003 की अवधि हेतु 1.72 करोड़ रुपये²⁶ अनुमोदित किये गये थे। जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य एडस नियंत्रण संस्था द्वारा केवल 29.30 लाख रुपये²⁷ (17 प्रतिशत) संचालक एडस नियंत्रण संस्थाओं को आबंटित किये जिसने परिशिष्ट -XXXII में दिये विवरण के अनुसार 14.53 लाख रुपये²⁸ (50 प्रतिशत) व्यय किये। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि लक्षित हस्तक्षेप के विभिन्न उप घटक के क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ हैं।

उच्च जोखिम समूहों का
समावेशन न करना

उच्च जोखिम समूहों का समावेशन न करना : यद्यपि राष्ट्रीय एडस नियंत्रण संगठन द्वारा उच्च जोखिम समूह जैसे मुख्यतः व्यापारिक लैंगिक धंधा करने वाले, ट्रक चालक, इंजेक्शन द्वारा ड्रग उपयोग करने वाले प्रवासी मजदूरों, समलैंगिक पहचाने गये थे। लेखा परीक्षा में पाया गया कि न तो ऐसे किसी उच्च जोखिम समूह का समावेश किया गया था और न ही उनके समावेश हेतु योजना तैयार की गई थी। इन समूहों के लक्षित हस्तक्षेप को नहीं लेने से योजना का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एडस नियंत्रण संगठन में सघन विकास हेतु विभाग को आघात करने वाले समूहों के मानचित्रण का कार्य सौंपा गया। जिसने इस कार्य हेतु मैसर्स ब्लेक स्टोन मार्केट फेक्टस इंडिया लिमिटेड को किराये पर लिया गया। तथापि कोई प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था (जुलाई 2003)।

गैर सरकारी संगठनों की
पहचान न करना

स्वैच्छिक संगठनों का सम्मिलित न होना : लक्षित हस्तक्षेपों से संबंधित क्रियाकलापों का आयोजन भी गैर सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों और जेनरिक प्रोटोकाल उपयोग करने वाले निजी उपक्रम के माध्यम से भी बड़ी मात्रा में किया जाना था। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य एडस नियंत्रण संस्था द्वारा किसी भी स्वैच्छिक संगठन की पहचान नहीं की गई थी। यद्यपि 2001-2003 की अवधि हेतु कार्य योजना में 1.10 करोड़ रुपये अनुमोदित थे। परियोजना संचालक ने बताया (जुलाई 2003) कि संप्रेषण संक्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित क्रियाकलापों की योजना तैयार नहीं की गई थी।

निरोध का कम वितरण

²⁶ 1.72 करोड़ रुपये (2001-02 हेतु 81.80 लाख रुपये ३ 2002-03 हेतु 90.00 लाख रुपये)

²⁷ 29.30 लाख रुपये (2001-02 हेतु 9.00 लाख रुपये ३ 2002-03 हेतु 20.30 लाख रुपये)

²⁸ 14.53 लाख रुपये (2001-02 हेतु 5.00 लाख रुपये एवं 2002-03 हेतु 9.53 लाख रुपये)

निरोध को बढ़ावा देने में कमी : निरोध विभिन्न चैनलों के माध्यम यथा (i) निःशुल्क वितरण (ii) सामाजिक विपणन (iii) व्यापारिक विक्रय द्वारा वितरण किये जाने थे। सामाजिक विपणन और व्यापारिक विक्रय निरोध कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है, इन माध्यमों द्वारा निरोध वितरण हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। मार्च 2003 से निरोध का निःशुल्क वितरण कार्य प्रारंभ किया गया। इस प्रकार उच्च जोखिम वर्गों के मध्य 90 प्रतिशत निरोध उपयोग के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

छः जिलों में लैंगिक संप्रेषित रोग चिकित्सालय कार्यरत न होना

लैंगिक संप्रेषित रोग चिकित्सालयों का कार्य न करना : क्योंकि लैंगिक संप्रेषित रोग की वृद्धि में एच.आई.व्ही. का संयोग था, लैंगिक संप्रेषित रोग नियंत्रण की कार्यक्रम व्यूह रचना में मुख्य भूमिका दी गई थी। यह पाया गया कि वर्ष 2002-2003 के दौरान लैंगिक संप्रेषित रोग चिकित्सालयों के कार्यचालन हेतु नौ में से केवल पांच को अनुदान दिये गये थे। इसके अतिरिक्त छः नवीनतम स्वीकृत (2002-2003) लैंगिक संप्रेषित रोग चिकित्सालयों²⁹ को 2.55 लाख रुपये प्रति चिकित्सालय अनुदान दिया गया था। सिविल कार्य पूर्ण न होने के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था। 15.30 लाख रुपये मूल्य की अनुदानें अव्ययित रहने से लैंगिक संप्रेषित रोग प्रकरणों की खोज, परीक्षण, उपचार एवं परामर्श पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

एडस / एच.आई.व्ही. के प्रकरणों में वृद्धि

एच.आई.व्ही./एडस प्रकरणों के बढ़ने की प्रवृत्ति

प्रतिवेदनों की संवीक्षा में पाया गया कि एडस के प्रकरण 35 (जुलाई 2002) से बढ़कर 72 (मार्च 2003) और एच.आई.व्ही. सकारात्मक प्रकरण 55 (1 दिसम्बर 2001) से बढ़कर 152 (मार्च 2003) हो गये ।

➤ **सामान्य समुदाय के लिए प्रतिरोधक हस्तक्षेप (कम जोखिम समूहों के मध्य रोकथाम)**

कम जोखिम समूहों के मध्य प्रतिरोधक हस्तक्षेप में निधियों का कम प्रयोग

इस घटक के अंतर्गत (क) सूचना, शिक्षा एवं संचार, और जागरूकता अभियान चलाना (ख) स्वैच्छिक जांच और सलाह प्रदाय करना (ग) रक्त चढ़ाने के द्वारा संप्रेषण कम करना और व्यावसायिक अनावरण करना (घ) माँ से शिशु में एच.आई.व्ही. के संप्रेषण की रोकथाम के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप शामिल किये गये थे।

उपरोक्त क्रियाकलापों के लिए 2001-2003 की अवधि हेतु अनुमोदित कार्य योजना में 3.78 करोड़ रुपये³⁰ के प्रावधान के विरुद्ध **परिशिष्ट - XXXII** के विवरणानुसार 1.76 करोड़ रुपये³¹ (46 प्रतिशत) व्यय किया गया उप घटक बार निष्पादन निम्नानुसार है :

➤ **सूचना, शिक्षा, संचार और जागरूकता अभियान**

परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की असफलता

²⁹ धमतरी, जांजगीर, जशपुर, कोरबा, कोरिया एवं महासमुंद

³⁰ 3.78 करोड़ रुपये 2001-2002 हेतु 227.70 लाख रुपये 3 2002-2003 हेतु 150.00 लाख रुपये

³¹ 1.76 करोड़ रुपये (16.403 85.07 3 65.86 3 8.21 लाख रुपये)

79.50 लाख रुपये के कुल अनुदान का 65.86 लाख रुपये (83 प्रतिशत) व्यय कर फरवरी 2002 के दौरान सभी जिलों में ग्यारह हजार छः सौ अस्सी परिवार स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित किये गये थे। इसके उद्देश्य (क) जागरूकता पैदा करना (ख) लैंगिक संप्रेषित संक्रमण का शीघ्र पता लगाना और तुरंत उपचार और पुनरूत्पादन क्षेत्र संक्रमण थे। इस अभियान में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई थी :-

शिविरों में अपर्याप्त उपस्थिति

- 72.78 लाख की अनुमानित लक्षित जनसंख्या (15-49 वर्ष) के केवल 18 प्रतिशत (13.42 लाख) वास्तव में शिविरों में उपस्थित हुए। छः जिलों³² में केवल 2-8 प्रतिशत के मध्य लोग वास्तव में शिविरों में उपस्थित हुए (परिशिष्ट-XXXIII)। इन शिविरों में लोगों को जागरूक बनाने के लिए गांव में प्रत्येक मकान से दो बार सम्पर्क किया जाना था। 15-49 वर्ष की उम्र के मध्य सदस्य हेतु प्रत्येक परिवार को एक गृह भ्रमण कार्ड दिया जाना था। तथापि, अभिलेखों पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया था कि कार्ड वास्तव में वितरित किया गया था। परिवार स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में अपर्याप्त उपस्थिति के पीछे अभियान के संबंध में द्वार द्वार प्रचार का शिथिल क्रियान्वयन, कारण हो सकता है।

संदर्भित प्रकरणों में केवल 11-34 प्रतिशत का उपचार करना ध्यान में आया था

- शिविरों के दौरान खोजे गये पुनरूत्पादन क्षेत्र संक्रमण एवं लैंगिक संप्रेषित रोग के रोगियों का उपचार तत्परता एवं प्रभावशील ढंग से नहीं किया गया **परिशिष्ट-XXXIII** में दिये गये विवरणानुसार क्योंकि 10 जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में केवल 11-34 प्रतिशत संदर्भित रोगी उपचारित किये गये थे।

- छत्तीसगढ़ राज्य एडस नियंत्रण संस्था द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजना के अनुसार प्रत्येक पुनरूत्पादन क्षेत्र संक्रमण एवं लैंगिक संप्रेषित संक्रमण के प्रति रोगी 50 रुपये की अनुमानित औसत लागत थी। लेकिन 81796 रोगियों के लिए वास्तव में 15.19 लाख रुपये अर्थात् 19.00 रुपये प्रति रोगी व्यय किया गया था। परिणाम स्वरूप किये गये उपचार की प्रभावशीलता और व्यय की गई राशि की फलदायकता संदेहास्पद है। परियोजना संचालक ने उत्तर में बताया कि (जुलाई 2003) कि संचालक एडस नियंत्रण संस्थाओं से प्रति मरीज किया गया वास्तविक व्यय एवं उसका इलाज पर प्रभाव एकत्रित कर उपलब्ध कराया जावेगा। आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2004)।

अधिक ग्रह भ्रमण कार्डों की छपाई पर 6.59 लाख रुपये का परिहार्य व्यय

- संचालक एडस नियंत्रण संस्थाओं द्वारा 44.90 लाख कार्ड की छपाई हेतु 8.98 लाख रुपये (200 रुपये प्रति हजार ग्रह भ्रमण कार्ड की दर से) का व्यय किया गया जबकि केवल 9.96 लाख कार्ड (995234 परिवारों के लिए प्रति परिवार एक कार्ड) आवश्यक थे। 34.94 लाख कार्डों (78 प्रतिशत) की अधिक छपाई के परिणामस्वरूप 6.59 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया गया। परियोजना संचालक ने उत्तर में बताया (जनवरी 2003) कि 2.08 करोड़ की कुल आबादी के लिए पाँच व्यक्ति प्रति परिवार के आधार पर कार्डों की आवश्यकता का

³² धमतरी, दुर्ग, जशपुर, कोरबा, रायपुर एवं राजनांदगांव

अनुमान लगाया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इन ग्रह भ्रमण कार्डों का आधार परिवार होना था न कि कुल आबादी।

सूचना, शिक्षा, संचार
क्रियाकलापों में
अनियमितताएं

सूचना, शिक्षा, संचार क्रिया कलापों पर 29.17 लाख रुपये का अनियमित भुगतान :
सूचना, शिक्षा, संचार क्रिया कलापों जैसे गेरू पेंटिंग (12.22 लाख रुपये) विज्ञापन बोर्डों की पेंटिंग एवं किराया (13.50 लाख रुपये) एवं लीफ लेटस पर्चों और पुस्तिका इत्यादि के मुद्रण (3.45 लाख रुपये) पर कुल 29.17 लाख रुपये की राशि का व्यय किया गया। यह देखा गया कि वर्ष 2002-2003 हेतु कार्य योजना में गेरू पेंटिंग कार्य उल्लिखित नहीं था। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ कार्य किया गया स्थानों के नाम और तारीखें नहीं दी गई थी और न ही संबंधित अधिकारी ने निष्पादित कार्य का सत्यापन किया था, होर्डिंगों के सत्यापन का उल्लेख भी नहीं किया गया था। लीफ लेटस पर्चे के संबंध में स्कंध पंजी, सामग्री की प्राप्ति एवं वितरण के सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई थी। विभाग/शासन का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2004)।

निरोध को बढ़ावा देने पर 2.92 लाख रुपये का संदेहास्पद व्यय

निष्पादन के सत्यापन के
बिना भुगतान विमुक्त
करना

मैसर्स हेल्प एडवर्टाईजिंग एजेन्सी रायपुर को 5400 रुपये की दर से निरोध को बढ़ावा देने हेतु 54 कार्यों के सम्पन्न करने के लिए 2.92 लाख रुपये का भुगतान किया गया। प्रत्येक कार्य में विभिन्न क्रिया-कलाप सम्मिलित थे (i) 300 रुपये की दर से पुराणिक गीत (ii) 550 रुपये की दर से लोकगीत (iii) 1600 रुपये की दर से लोक नृत्य (iv) 2000 रुपये की दर से खेल/नाटक (v) 350 रुपये की दर से कठपुतली (vi) 600 रुपये की दर से जादू। ये क्रियाकलाप राज्य में 146 विकास खण्डों में सम्पन्न किये जाने थे। लेकिन इन क्रियाकलापों के विवरण कार्यादेशों में उल्लिखित नहीं किये गये। सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा भी उन क्रियाकलापों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी गई थी। परिणामस्वरूप निष्पादन के सत्यापन के बिना भुगतान किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण संस्था/शासन का उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2004)।

➤ स्वैच्छिक परीक्षण और परामर्श प्रदान करना

स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्रों के परिचालन में विलम्ब : स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्रों के महत्व को समझते हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने जिला स्तर पर स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केन्द्रों का जाल बिछाने का निर्णय लिया। राज्य में स्वैच्छिक परीक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :

तालिका - 2

(लाख रुपये में)

जिलों की संख्या	वर्ष	परीक्षण केन्द्रों का वार्षिक लक्ष्य	कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित राशि	छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण संस्था द्वारा आवंटित राशि	व्यय	स्थापित केन्द्र	स्थापित केन्द्रों में से कार्य न करने वाले केन्द्र	कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	2001-02	10	24.70	1.26	--	1	1	(1) सलाहकारों की नियुक्ति नहीं की गई
16	2002-03	10	27.40	11.39	2.29	8	8	(2) स्थल चयन नहीं किये गये

स्वैच्छिक सलाहकार प्रशिक्षण केन्द्रों का सितम्बर 2003 तक कार्यशील न होना

2001-2002 के दौरान 10 परीक्षण चिकित्सालयों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल एक केन्द्र स्थापित किया गया था और फिर भी सलाहकारों की नियुक्ति न किये जाने के कारण केन्द्र अपने उद्दिष्ट उद्देश्य का निर्वाह नहीं कर पा रहा था। इसी प्रकार 2002-2003 के दौरान यद्यपि 8 केन्द्र और खोले गये थे, सभी 9 केन्द्र अक्रियाशील थे।

इस हेतु कारण सूचित किये गये कि स्थल चयनित न होने के अतिरिक्त सलाहकार नियुक्त नहीं किये गये थे। शेष रहे एक स्थल यथा महासमुन्द को निधियां नहीं दी गयी थी, क्योंकि रक्त बैंक स्थापित नहीं किया गया था। स्वैच्छिक सलाहकार प्रशिक्षण केन्द्रों ने केवल अक्टूबर 2003 से कार्य प्रारम्भ किया।

➤ **रक्त चढ़ाने के द्वारा व्यावसायिक अनावरण एवं संप्रेषण कम करना**

रक्त संप्रेषण को संक्रमण का एक महत्वपूर्ण मार्ग माना गया है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने रक्त पूर्ति की सुरक्षा एवं पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए रक्त सुरक्षा कार्यक्रम पर विशेष बल दिया था, छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण संस्था के सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्नलिखित कमियाँ पाई गयी : -

रक्त बैंकों में 35 लाख रुपये की निधियों का अवरुद्ध होना

प्रत्येक जिले में कम से कम एक आधुनिकतम रक्त बैंक स्थापित किया जाना था। यह पाया गया (जुलाई 2003) कि सात जिलों³³ में स्थल के चयन न होने एवं लाइसेंस आदि के कारण प्रत्येक को पाँच लाख रुपये का अनुदान देने के पश्चात भी आधुनिक रक्त बैंक स्थापित नहीं किये गये। इस प्रकार जनता अभीप्सित लाभों से बंचित रही एवं 35 लाख रुपये की निधियाँ अवरुद्ध रही।

33

दन्तेवाड़ा, धमतरी, जांजगीर, जशपुर, कोरिया, कवर्धा और महासमुन्द

चिकित्सा महाविद्यालय
बिलासपुर रक्त बैंक का
उन्नयन न होना

चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर और बिलासपुर में दो विद्यमान मुख्य रक्त बैंकों का उन्नयन किये जाने का लक्ष्य था, लेकिन केवल एक अर्थात् चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर का उन्नयन किया जा सका। स्थल का चयन लाइसेन्स और अन्य वांछित औपचारिकताएँ पूरी न होने के कारण अन्य दूसरी का उन्नयन नहीं किया जा सका।

बिलासपुर में क्षेत्रीय रक्त
परीक्षण केन्द्र स्थापित न
करना

रायपुर और बिलासपुर चिकित्सा महाविद्यालयों में दो क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य था। परन्तु यह पाया गया कि चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर में क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्र स्थापित नहीं किया गया यद्यपि 1999-02 के दौरान मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण संस्था भोपाल द्वारा इस उद्देश्य के लिए 4.12 लाख रुपये प्रदान किये थे। इंगित करने पर परियोजना संचालक ने बताया (जून 2003) कि क्षेत्रीय रक्त परीक्षण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

आदर्श रक्त बैंक स्थापित
न करना रक्त घटक
पृथक्करण इकाई प्रारम्भ
न करना

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में एक स्टेट ऑफ आर्ट आदर्श रक्त बैंक स्वीकृत (जनवरी 2002) की। लेकिन ऐसी कोई रक्त बैंक स्थापित नहीं की गई थी (जून 2003)।

रक्त एवं रक्त उत्पादों के विवेकी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर और बिलासपुर में रक्त घटक पृथक्करण इकाइयाँ स्थापित की जानी थी। चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर को 19.64 लाख रुपये (2001-2002) लागत के आवश्यक उपकरण एवं उपभोज्य सामग्री इत्यादि के लिए छः लाख रुपये (दिसम्बर 2002) दिये गये थे। लेकिन रक्त घटक पृथक्करण इकाई का परिचालन अभी होना था (जून 2003) परिणाम स्वरूप निधियाँ अवरूद्ध रही और उपकरण निष्क्रिय रहे। इंगित किये जाने पर अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय ने बताया (जून 2003) कि छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण संस्था द्वारा प्लेटलेट इनक्यूबेटर 10 के.व्ही.ए. जनरेटर की प्राप्ति न करना एवं लाइसेन्स के अभाव के कारण रक्त घटक पृथक्करण इकाई प्रारम्भ नहीं की जा सकी। इसलिए 0.95 लाख रुपये के उपकरणों का प्रदाय न होने के कारण 19.64 लाख रुपये के उपकरण निष्क्रिय पड़े थे। चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर को कोई निधियाँ नहीं दी गई थी।

रक्त संग्रहण केन्द्रों को
खोलने हेतु पहल का
अभाव

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की रक्त सुरक्षा कार्य योजना (2003) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे अस्पतालों में जहाँ रक्त बैंक का प्रचालन संभाव्य नहीं है रक्त संग्रहण केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए। आपात काल में जिला रक्त बैंकों से शुद्ध रक्त प्राप्त करने में समर्थ बनायेगा। तथापि, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा वर्ष 2003-04 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण संस्था की अनुमोदित कार्य योजना में इस पर विचार नहीं किया गया था।

स्वैच्छिक रक्त
संग्रहण के लक्ष्य
प्राप्त नहीं किये
गये

कार्य योजना (2002-2003) के अनुसार पिछले वर्षों के संग्रहण से 10 प्रतिशत एवं स्वैच्छिक रक्त संग्रहण द्वारा कम से कम 30 प्रतिशत की वृद्धि कर अर्थात् स्वैच्छिक संग्रहण की 5000 इकाई रक्त का कुल संग्रहण किया जाना था। अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि रक्त इकाइयों का वास्तविक संग्रहण लक्षित इकाइयों से बहुत कम था। रक्त दान दाताओं से रक्त दान की स्थिति निम्नानुसार थी :

तालिका-3

(इकाइयों में)

वर्ष	रक्त संग्रहण का लक्ष्य			वास्तविक रक्त का संग्रहण			रक्त संग्रहण में कमी		
	प्रति स्थापित दानदाता	स्वैच्छिक दानदाता	योग	प्रति स्थापित दानदाता	स्वैच्छिक दानदाता	योग	प्रति स्थापित दानदाता	स्वैच्छिक दानदाता	योग
2002	12838	5000	17838	8632	2664	11296	4206 (33 प्रतिशत)	2336 (47 प्रतिशत)	6542 (37 प्रतिशत)

दानदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए शिविरों के आयोजन द्वारा रक्त संग्रहण को बढ़ाना था। इस उद्देश्य के लिए न तो निधियाँ और न आवश्यक युक्तियाँ अभी तक उपलब्ध करायी गई है।

सभी जिला स्तरीय रक्त बैंकों को न जोड़ना

कार्यक्रम के अनुसार रक्त बैंकिंग सेवाओं के मध्य उचित संचार सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी थी लेकिन यह देखा गया कि इन्टरनेट द्वारा सभी जिला स्तरीय रक्त बैंकों को जोड़ने हेतु राष्ट्रीय एडस नियंत्रण संगठन को प्रस्ताव अभी भेजा जाना था।

नोडल अधिकारियों द्वारा मासिक निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना

राष्ट्रीय एडस नियंत्रण संगठन द्वारा यह चाहा गया था कि जिला नोडल अधिकारियों द्वारा मासिक निरीक्षण प्रतिवेदन (लैंगिक संप्रेषित रोग/एच.आई.व्ही./एडस प्रकरण रक्त संग्रहण और परीक्षण इत्यादि) प्रस्तुत करने चाहिए जिससे कि कार्यक्रम के विभिन्न घटकों पर वे अपनी क्षेत्रीय टीका टिप्पणी प्रस्तुत करने में सक्षम हों। न तो छत्तीसगढ़ राज्य एडस नियंत्रण संस्था ने निर्देश जारी किये और न ही जिला नोडल अधिकारियों ने मासिक निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से अपनी क्षेत्रीय टीका टिप्पणी प्रस्तुत की। परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय इकाइयों एवं छत्तीसगढ़ राज्य एडस नियंत्रण संस्था के मध्य सूचना के एक द्विपक्षीय आदान प्रदान का अस्तित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान पाई गई किसी कमी का मध्यावधि में सुधार भी संभव नहीं था।

हेपीटाइटिस-सी के परीक्षण में कमी

संक्रामक बीमारियों जैसे हेपीटाइटिस, सिफलिस, मलेरिया और एच.आई.व्ही./एडस का पता लगाने के लिए प्रत्येक रक्त इकाई का पुनरीक्षण आवश्यक था। संवीक्षा में पाया गया कि हेपीटाइटिस-सी की जांच न करना निम्नानुसार पाया गया था :

तालिका - 4

क्र. सं.	जिले का नाम	अवधि	संग्रहित रक्त की इकाइयों की संख्या	वास्तव में किये गये हेपाटाइटिस-सी के परीक्षण की संख्या	कमियाँ	कमियों का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	रायपुर	8/02 से 12/02	1327	780	547	41
2.	राजनांदगांव	8/02 से 12/02	1242	निरंक	1242	100
		1/03 से 3/03	606	निरंक	606	100
3.	बिलासपुर	8/02 से 12/02	1469	20	1449	99
4.	कोरबा	1/03 से 3/03	35	निरंक	35	100
5.	सरगुजा	8/02 से 12/02	920	638	282	69

इसे इंगित किये जाने पर परियोजना संचालक ने बताया (जुलाई 2003) कि संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से कारणों की पूछताछ की जा रही है।

राज्य में रक्त एवं सेरो प्रभावितों (एच.आई.वी.के धनात्मक) की स्क्रीनिंग के दौरान जाँच किये गये नमूनों की संख्या की स्थिति निम्नानुसार थी :

तालिका - 5

वर्ष	स्वैच्छिक रक्त दाताओं के किये गये परीक्षित नमूनों की संख्या	एच.आई. व्ही. के धनात्मक की संख्या	प्रतिस्थापित रक्त दाताओं के परीक्षित नमूनों की संख्या	एच.आई. व्ही. के धनात्मक की संख्या	परीक्षितों की कुल संख्या	एच.आई. व्ही. की धनात्मक कुल संख्या	प्रतिशत
2001	2162	8	14054	47	16216	55	0.34
2002	2664	13	8632	39	11296	52	0.46
2003 (मार्च तक)	1230	4	3177	5	4407	9	0.20

एच.आई.वी.के रोगियों को सूचित किये बिना रखा गया था

यह पाया गया कि एच.आई.वी. रोगियों को प्रायः उनकी दशा सूचित किये बिना रखा गया था। एक व्यक्ति को प्रायः उनकी दशा से अनभिज्ञ रखने से संक्रमण का फैलाव होता है। इसे इंगित किये जाने पर अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर/सिविल सर्जन बिलासपुर ने बताया कि (जुलाई/सितम्बर 2003) कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के निर्देशानुसार परीक्षणों के परिणाम गोपनीय रखे जाने थे। इसलिए रोगियों को सूचित नहीं किये गये जा रहे थे। रक्त सुरक्षा 2003 हेतु कार्य योजना के अनुसार स्वैच्छिक सलाहकार परीक्षण केन्द्र अब संक्रमित व्यक्ति को एच.आई.वी. स्तर सूचित करेगा।

➤ **एच.आई.व्ही. का माँ से शिशु में संप्रेषण की रोकथाम**

माँ से शिशु में संप्रेषण परियोजना कभी नहीं ली गयी

वाइरस के फैलाव को कम करने के लिए माँ से शिशु में एच.आई.व्ही.के संप्रेषण की रोकथाम का एक अन्य महत्वपूर्ण हस्तक्षेप ब्यूह रचना है। माँ से शिशु में संप्रेषण परियोजना के क्रियान्वयन के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों और जिला अस्पतालों में कार्ययोजना (2002-2003) में 6.21 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य एडस नियंत्रण संस्था द्वारा न तो चिकित्सा महाविद्यालयों और जिला चिकित्सालयों में निधियाँ आबंटित की गईं और न ही कोई कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था (जून 2003)।

➤ **कम लागत एडस देखरेख**

एडस/एच.आई.व्ही. रोगियों की देखरेख में कमी

कम लागत एडस देखरेख के अंतर्गत उद्देश्य सामान्य मौका परस्त संक्रमणों³⁴ के लिए लागत प्रभावित हस्तक्षेपों की उपलब्धता में वृद्धि को शामिल कर गृह आधारित एवं समुदाय आधारित निधियाँ प्रदाय करना था। गैर सरकारी संगठनों एवं समुदाय आधारित संगठनों की साझेदारी में एडस वाले व्यक्तियों की देखरेख हेतु किस्म सुधार एवं उपलब्ध हस्तक्षेपों की लागत प्रभावशीलता तथा नवीन समर्थन सेवाओं की संरचना को शामिल करते हुए कदम प्रस्तावित किये गये। यह लघु समुदाय आधारित अस्पतालों, निर्धन रोगियों हेतु गृहों, ड्राप-इन-सेन्टर्स एवं गृह आधारित देखरेख की स्थापना के माध्यम से किया जाना था। यद्यपि एडस के 72 प्रकरण (मार्च 2003) एवं 152 एच.आई.व्ही. धनात्मक प्रकरण (जनवरी 2001 से मार्च 2003 तक 116 रक्त स्क्रीनिंग + 36 निगरानी) सूचित किये गये, अभी तक कोई कदम नहीं उठाये गये थे।

एन्टीरेट्रोवाइरल थेरेपी प्रारंभ नहीं की गई थी

जिडोव्यूडाइन दवा की 1500 मिली ग्राम की प्रतिदिन एक खुराक जीवन वृद्धि है मौका परस्त संक्रमण में कमी, सी.डी. 4 सैल में वृद्धि, और पी 24 सीरम को एन्टीजन स्तर तक कम करती है। एच.आई.व्ही.रोग के उपचार हेतु प्रथम अभिकर्ता ने अनुमोदित की थी। लेकिन यह दवाई प्रदाय नहीं की गई क्योंकि राष्ट्रीय एडस नियंत्रण संगठन से इस संबंध में निर्देश/निधियाँ प्राप्त न होने के कारण एन्टी रेट्रोवाइरल थेरेपी प्रारंभ नहीं की गई थी।

➤ **लैंगिक संप्रेषित संक्रमण / एडस प्रहरी निगरानी**

लैंगिक संप्रेषित रोगों की निगरानी एच.आई.व्ही./एडस नियंत्रण और रोकथाम का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य प्रभावशील निगरानी प्रणाली का विकास और विश्वसनीय आंकड़ों का स्तर उत्पन्न करना था। इसके विशिष्ट क्रियाकलाप (i) प्रत्येक राज्य में एच.आई.व्ही. प्रहरी और निगरानी (ii) विशिष्ट सर्वेक्षण द्वारा लैंगिक संप्रेषित रोगों की निगरानी (iii) निगरानी सर्वेक्षण और (iv) एडस प्रकरणों की निगरानी को लिया जाना था / अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पायी गईं :

³⁴ मौका परस्त संक्रमण एम.तपैदिक केंडियाडाइसिस, क्राइपनेस्पोरिडियम शेक्सोप्लाज्मा, हर्वेस कपीसी सरकोमा पेरासाइटिक संक्रमण और अन्य

अन्य समूहों (इन्टरवेनस ड्रग यूजर इन्जेक्टिव ड्रग यूजर समलैंगिक मैथुन इत्यादि) की एच.आई. व्ही. प्रहरी निगरानी नहीं की गई थी

लैंगिक संप्रेषित रोग एवं व्यवहार और एडस प्रकरणों की निगरानी नहीं की गई। प्रत्येक श्रेणी की समूह निगरानी लैंगिक संप्रेषित रोग, प्रसव पूर्व चिकित्सालय, इन्टरवेनस ड्रग उपयोग कर्ता, व्यापारिक मैथुन कामगार, इंजेक्टिव ड्रग उपयोग कर्ता, समलैंगिक मैथुन इत्यादि³⁵ एच.आई.व्ही. की प्रहरी/निगरानी करनी थीं। लेकिन लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2001 और 2002 के दौरान आठ जिलों³⁶ में केवल दो समूहों अर्थात् लैंगिक संप्रेषित रोग एवं प्रसव पूर्व चिकित्सालय में यह निगरानी की गई थी, निगरानी के क्षेत्र में उच्च जोखिम श्रेणियों को छोड़ने से एच.आई.व्ही. की प्रचलित दर की सत्यता संदेहास्पद है। इसके अतिरिक्त निगरानी के परिणामों और उद्देश्यों की पूर्ति की विश्वसनीयता भी संदेहास्पद है।

रिफरल केन्द्र के निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुए थे

एच.आई.व्ही.प्रहरी निगरानी के समस्त एच.आई.व्ही. सकारात्मक और एच.आई.व्ही. नकारात्मक के पाँच प्रतिशत नमूने संबंधित रिफरल केन्द्र/प्रयोगशालाओं को आगामी विश्लेषण हेतु भेजे जाने चाहिए थे। संबंधित केन्द्रों को 15 दिनों के अन्दर परिणाम सूचित करने थे। वांछित सकारात्मक और नकारात्मक नमूने नेशनल इस्टीमेट आफ हेमाटोलोजी, मुम्बई को भेजने थे। लेकिन इससे संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी और छत्तीसगढ़ राज्य एडस नियंत्रण संस्था द्वारा भी अनुगामी कार्यवाही नहीं की गई। परियोजना संचालक ने बताया (जुलाई 2003) कि जानकारी एकत्रित कर लेखा परीक्षा को प्रस्तुत की जावेगी। आगामी उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2004)।

➤ प्रशिक्षण

कार्यक्रम प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रशिक्षण क्रियाकलापों की संवीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन न करना

प्रशिक्षण की व्यवस्था न करना : 2002-2003 की कार्य योजना के अनुसार चिकित्सकों नर्सों, ए.एन.एम. और अन्य पैरा मेडिकल अमलों और 100 निजी अभ्यास कर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ष के अंत तक पूर्ण किया जाना था। आगंनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाना था। इस उद्देश्य के लिए 40.00 लाख रुपये का प्रावधान भी किया गया था लेकिन एक भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था (जुलाई 2003)।

जिला कोर प्रशिक्षकों की सेवाओं का उपयोग नहीं किया गया

प्रशिक्षित जिला कोर प्रशिक्षकों का उपयोग न करना : मध्य प्रदेश राज्य एडस नियंत्रण संस्था भोपाल द्वारा 1999-2000 के दौरान चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर में विशेषज्ञ प्रशिक्षण (एच.आई.व्ही./एडस प्रबंधन) हेतु जिला कोर प्रशिक्षक दल हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया। ये भाग लेने वाले संभावित जिला कोर प्रशिक्षक थे और जिले के अन्य चिकित्सकों और पैरा मेडिकल अमले के प्रशिक्षण हेतु जिला प्रशिक्षण दल के सदस्य उत्तरदायी थे।

³⁵ लैंगिक संप्रेषित रोग(एस.टी.डी.), प्रसव पूर्व चिकित्सालय, इन्टरवेनस ड्रगयूजर (आई.व्ही.डी.यू.), व्यापारिक मैथुन कामगार (सी.एस.डब्लू.), इंजेक्टिव ड्रग यूजर (आई.डी.यू.), समलैंगिक मैथुन (एस.एस.एम.)

³⁶ लैंगिक संप्रेषित रोग - दुर्ग, कोरबा, रायपुर प्रसव पूर्व चिकित्सालय बिलासपुर, दन्तेवाड़ा, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़

यद्यपि 5.31 लाख रुपये का व्यय 291 चिकित्सकों (चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल रायपुर के 114 चिकित्सक एवं क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर एवं अन्य जिलों के 177 चिकित्सक) के प्रशिक्षण पर किया गया था, यह देखा गया कि जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आगामी प्रशिक्षण हेतु उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं किया गया था। इसे इंगित किये जाने पर अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर और प्राचार्य क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र बिलासपुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य एडस नियंत्रण संस्था से जिला अस्पताल अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षण देने हेतु कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ था।

लैंगिक संप्रेषित रोग निगरानी में प्रशिक्षित चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग नहीं किया गया था

लैंगिक संप्रेषित रोग निगरानी में प्रशिक्षित चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग न करना : मध्य प्रदेश राज्य एडस नियंत्रण संस्था भोपाल द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर को लैंगिक संप्रेषित रोगों की प्रहरी निगरानी (परीक्षण चक्र) हेतु सिंड्रोमिक एप्रोच में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु 2.14 लाख रुपये प्रदाय किये गये (सितम्बर 1999) तदनुसार 1.54 लाख रुपये का व्यय कर अक्टूबर 1999 में 80 चिकित्सकों को प्रशिक्षित किये गये थे। लेकिन बिलासपुर में लैंगिक संप्रेषित रोग की निगरानी प्रारंभ नहीं की गई थी।

➤ अन्तर्क्षेत्रीय सहयोग

अन्तर क्षेत्र सहयोग नहीं किया गया था

इस घटक का उद्देश्य सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक दोनों के मध्य सहयोग बढ़ाना है। 2001-2003 की कार्य योजना के अनुसार सभी स्तरों पर पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक अर्थात् पंचायत, जेल विभाग उद्योग और व्यापारिक संगठन और व्यापारिक संघों के सहयोग पर ध्यान दिया जाना था। कोयला खदान कामगारों के लिए विशेष जागरूकता और मार्गदर्शन कार्यशालाएँ आयोजित की जानी थी उपरोक्त उद्देश्य के लिए 10.20 लाख रुपये³⁷ का प्रावधान भी रखा गया था, लेकिन राज्य में ऐसे क्रियाकलाप नहीं किये गये थे (जुलाई 2003)।

3.2.7 अन्य रूचिकर बिन्दु

प्रयोग शाला सहायक की अनियमित नियुक्ति

प्रयोगशाला सहायक की अनियमित नियुक्ति

औषधि और सौन्दर्य प्रसाधन नियम 1999 के अनुसार रक्त बैंक तकनीशियन के पास केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी की डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर/सरगुजा ने 6500 रुपये प्रतिमाह की दर से संविदा आधार पर अयोग्य प्रयोगशाला सहायक नियुक्त किये। इंगित किये जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सरगुजा/बिलासपुर ने बताया (मई/सितम्बर 2003) कि प्रत्याशियों से पूछताछ की जावेगी।

³⁷

10.20 लाख रुपये (2001-02 हेतु 5.20 लाख रुपये 3 2002-03 हेतु 5.00 लाख रुपये)

3.2.8 परिवीक्षण और मूल्यांकन

परिवीक्षण और मूल्यांकन एक बाहरी एजेंसी द्वारा आधार रेखा, मध्य और अंतिम वर्ष में किया जाना था। राज्य स्तर पर कम्युटीरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली सहित साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधन में अमलों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का प्रशिक्षण और आधार रेखा मध्यावधि तथा अंतिम मूल्यांकन के क्रियाकलापों का मूल्यांकन किया जाना था।

परिवीक्षा और मूल्यांकन नहीं किया गया

परियोजना के द्वितीय वर्ष में औषधियों और निरोध की गुणवत्ता निगरानी और प्रबंधन की विशिष्ट स्वतंत्र समीक्षा की जानी थी। लेकिन किसी भी प्रकार का परिवीक्षण और मूल्यांकन नहीं किया गया क्योंकि राज्य एडस नियंत्रण संगठन/छत्तीसगढ़, राज्य एडस नियंत्रण संस्था द्वारा बाहरी एजेंसी की नियुक्ति नहीं की गयी थी। यह भी देखा गया कि जून 2002 में स्थापित प्रबंधन सूचना प्रणाली ने तकनीकी खराबी के कारण जनवरी 2003 से कार्य करना बंद कर दिया। इस प्रकार राष्ट्रीय एडस नियंत्रण संगठन को भेजे जाने वाले सावधिक प्रतिवेदन भी भेजे नहीं गये थे। परिणामस्वरूप इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्वतंत्र और वास्तविक मूल्यांकन का परिणाम निकालना कठिन था। उत्तर में यह बताया कि राष्ट्रीय एडस नियंत्रण संगठन से प्रबंधन सूचना प्रणाली साफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण प्राप्त नहीं हुआ था।

3.2.9 निष्कर्ष

समीक्षा में पाया गया कि कार्यक्रम के बहुत से उद्देश्य प्राप्त नहीं किये गये थे। इस प्रकार उच्च जोखिम लक्षित जनसंख्या का मानचित्रण कार्य प्रारंभ नहीं किया था। प्राथमिकता के आधार उच्च जोखिम समूहों हेतु प्राथमिकता लक्षित हस्तक्षेप और निरोध को बढ़ावा देना प्रारंभ नहीं किया गया था। गैर सरकारी संगठनों का चयन नहीं किया गया था। सात जिलों में आधुनिकतम रक्त बैंक स्थापित नहीं किये गये थे और रक्त घटक पृथक्करण इकाइयाँ प्रारंभ नहीं की गई थी। कुछ जिलों में अनिवार्य हेपेटाइटिस-सी के अनिवार्य परीक्षण नहीं किये जा रहे थे। लघु समुदाय आधारित चिकित्सालयों, निर्धन रोगियों हेतु आवासों एवं गृह आधारित देखरेख की स्थापना कर समुदाय आधारित संगठनों एवं गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी में एडस देखरेख क्रियाकलाप का सूत्रपात नहीं किया गया। लैंगिक संप्रेषित रोग/एडस प्रहरी/निगरानी क्रियाकलाप और प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं लिये गये थे।

3.2.10 अनुशंसाएं

- राज्य में एच.आई.वी. की प्रचलित दर की सही विवेचना करने हेतु उच्च जोखिम समूहों के अन्य श्रेणियों जैसे इन्ट्रावेनस ड्रग यूजर, व्यापारिक मैथुन कामगार, इंजेक्टिव ड्रग यूजर, समलैंगिक मैथुन की एच.आई.वी. निगरानी को भी किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे अस्पतालों में रक्त संग्रहण केन्द्रों की स्थापना हेतु शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है।

- स्वैच्छिक रक्त संग्रहण को बढ़ाने के लिए रक्तदान शिविरों को रखने हेतु पर्याप्त प्रावधान रखा जाना चाहिए।
- बचे हुए छः जिलों में भी स्वैच्छिक सलाहकार और परीक्षण केन्द्र खोले जाने चाहिए।

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग

3.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य छात्रवृत्ति

विशेषतायें

राज्य छात्रवृत्ति योजना कक्षा तीन से पाँच में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सभी छात्राओं, कक्षा छः से दस में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के सभी छात्रों एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों के मैट्रिकोत्तर शिक्षण का बिना किसी आर्थिक विवशता के पूर्ण करने के लिये छात्रवृत्ति के वितरण से विचारित है।

नवम्बर 2000 से मार्च 2003 के अभिलेखों की समीक्षा में आहरित निधियों का लेखांकन न करना, निधियों को देरी से जारी करना, छात्रवृत्ति का देरी से भुगतान, व्यय न किए गए शेषों को शासकीय लेखाओं में जमा न करना, बाद के वर्षों के बजट आवंटन में से छात्रवृत्ति का अनियमित भुगतान, छात्रवृत्ति के अनियमित एवं अधिक राशि के धनादेश जारी किया जाना प्रकट हुआ। अवलोकित महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार हैं :

नवम्बर 2000 से मार्च 2003 की अवधि में छात्रवृत्ति हेतु 38.09 करोड़ रुपये की आहरित राशि को केश बुक में प्रविष्टि के बिना देयकों के पृष्ठांकन द्वारा बैंक में जमा किया गया।

(कंडिका 3.3.6)

3.07 करोड़ रुपये की व्यय न की गई राशि को शासकीय लेखाओं में जमा नहीं किया गया।

(कंडिका 3.3.6)

5.93 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति के धनादेश जारी किए गए जबकि आहरण केवल 5.34 करोड़ रुपये का था फलस्वरूप 59 लाख रुपये की अधिक के धनादेश जारी हुए।

(कंडिका 3.3.6)

1.32 करोड़ रुपये की निधियाँ देरी से विमुक्त करने से पात्र छात्र वितीय सहायता से वंचित रहे।

(कंडिका 3.3.7)

अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों को 1.73 करोड़ रुपये के धनादेश अनियमित रूप से जारी किए गए ।

(कंडिका 3.3.8)

3.3.1 प्रस्तावना

1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियाँ/अनुसूचित जन जातियाँ एवं पिछड़ा वर्ग राज्य की कुल जनसंख्या का 79.02 प्रतिशत था। परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति जनसंख्या के मध्य शिक्षित प्रतिशतता राज्य की शिक्षित प्रतिशतता के 34.61 प्रतिशत के विरुद्ध क्रमशः 30.92 एवं 27.65 प्रतिशत मात्र ही थी। छात्रों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति छात्रों को मैट्रिक पूर्व राज्य छात्रवृत्ति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मैट्रिक पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर राज्य छात्रवृत्ति की एक योजना कार्यान्वित की गयी।

3.3.2 योजना के मुख्य लक्षण

मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति छात्रों के लिए राज्य छात्रवृत्ति योजना 1972 में प्रारंभ की गयी एवं 1982 में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए इसका विस्तार किया गया। योजनान्तर्गत जून से मार्च तक के 10 माह के शिक्षण सत्र के लिये परिशिष्ट - XXXIV में दी गयी दरों से छात्रवृत्ति स्वीकार्य थी। यह छात्रवृत्ति उन नियमित छात्रों जो राज्य के स्थायी निवासी थे एवं शासकीय अथवा शासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत थे, को स्वीकार्य थी।

इस छात्रवृत्ति योजना का मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के मैट्रिकोत्तर छात्रों को अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिये आगे विस्तार किया गया (जुलाई 1988)। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के घटकों में जीवन निर्वाह भत्ता, अनिवार्य वापसी योग्य फीस की प्रतिपूर्ति, अध्ययन यात्रा प्रभार आदि सम्मिलित थे। विभिन्न प्रशिक्षणों की दरें अलग-अलग थी।

3.3.3 संगठनात्मक संरचना

सचिव, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास के द्वारा आयुक्त आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास की सहायता से राज्य स्तर पर योजना कार्यान्वित की गयी। जिला स्तर पर योजना, जिलाध्यक्षों (आदिवासी विकास) द्वारा सहायक आयुक्त एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों सहित अन्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्यान्वित की गयी। जिला स्तर पर जिलाधीश समग्र नियंत्रण अधिकारी था। जिला स्तर पर योजना के उचित कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिये समन्वय समितियों का गठन भी किया जाना था।

3.3.4 लेखा परीक्षा समावेशन

राज्य के 16 में से चार जिलों (25 प्रतिशत) जैसे - जाँजगीर, रायगढ़, रायपुर एवं सरगुजा जिलों का चयन नमूना जाँच के लिए किया गया। सरगुजा एवं जाँजगीर जिलों का चयन इसलिये किया गया क्योंकि उनमें क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या अधिकतम थी। रायपुर में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या अधिकतम थी

एवं रायगढ़ जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत थी।

आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सरगुजा, रायपुर एवं रायगढ़, जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण, जाँजगीर एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सरगुजा, वाडूफनगर एवं छूरा एवं प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छात्र एवं छात्राएं गरियाबंद के नवम्बर 2000-2003 के अभिलेखों की नमूना जाँच दिसम्बर 2002 से सितम्बर 2003 के दौरान की गयी। पश्चातवर्ती कंडिकाओं में नमूना जाँच के परिणाम विशेष रूप से दर्शाए गये हैं।

3.3.5 वित्तीय व्यवस्था

राज्य सरकार, आयुक्त, आदिवासी विकास को बजट आवंटित करती है जो आगे निधियों को जिलाध्यक्षों को आवंटित करता है। जिलाध्यक्ष योजना का कार्यान्वयन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण के माध्यम से करता है। वांछित राशि कोषालय से आहरित की जाती है एवं पृथक नोडल बैंक खातों में जमा की जाती है। जिलाध्यक्ष शासकीय शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों को नोडल अधिकारी नामित करता है। नोडल अधिकारी जिलाध्यक्ष को छात्रवृत्ति के भुगतान के लिये अपने बैंक खातों की सूचना देता है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास/जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण नोडल बैंक से निधियों को शाखा अधिकारी एवं प्राचार्य के नाम से रेखांकित धनादेश के माध्यम से नोडल अधिकारियों के आदाता खाते में हस्तांतरित करता है।

3.3.6 बजट एवं व्यय की प्रगति

वर्ष 2000-2001 (1 नवम्बर 2000 से आगे) से 2002-2003 की अवधि के लिये राज्य स्तरीय बजट आवंटन एवं किये गये व्यय की स्थिति निम्न प्रकार से थी:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		आधिक्य (+) बचत	
	मैट्रिक पूर्व	पिछड़ा वर्ग हेतु मैट्रिकोत्तर	मैट्रिक पूर्व	पिछड़ा वर्ग हेतु मैट्रिकोत्तर	मैट्रिक पूर्व	पिछड़ा वर्ग हेतु मैट्रिकोत्तर
2000-01	14.13	1.72	11.75	1.10	(-) 2.38	(-) 0.62
2001-02	44.57	4.36	37.56	2.74	(-) 7.01	(-) 1.62
2002-03	50.38	6.49	47.14	6.93	(-) 3.24	(+) 0.44
महायोग	109.08	12.57	96.45	10.77	(-) 12.63	(-) 1.80

विभाग निधियों के 12 से 14 प्रतिशत का उपयोग करने में विफल रहा

मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति में 12.63 करोड़ रुपये (12 प्रतिशत) एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में 1.80 करोड़ रुपये (14 प्रतिशत) का उपयोग करने में विभाग विफल रहा।

आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल ने सितम्बर 1991 में निर्देश जारी किये कि बजट आवंटन की तुलना में वास्तविक व्यय को मॉनिटर किया जाना चाहिये। लेखापरीक्षा में देखा गया कि न तो नियमित रूप से बजट आवंटन को मॉनिटर किया जा रहा था एवं न ही योजना के अंतर्गत व्यय की प्रगति को मॉनिटर किया जा रहा था। वित्तीय नियंत्रण के बिना किसी योजना का संचालन अत्यन्त गंभीर मामला है।

आयुक्त आदिवासी विकास ने बजट आवंटन के आधिक्य/बचत/कम उपयोग के कोई कारण नहीं दिए।

केश बुक में आहरणों का लेखांकन न करना

38.09 करोड़ रुपये के आहरण केश बुक में दर्ज नहीं किये गये थे

कोषालय संहिता के प्रावधानों के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियों की केश बुक में सभी वित्तीय व्यवहार दिखाए जाना चाहिये। परन्तु यह देखा गया कि नवम्बर 2000 से मार्च 2003 के दौरान में आहरित 38.09 करोड़ रुपये की निधियाँ केश बुक में दिखलाये बिना नोडल बैंक में जमा किये गये।

राशियों का केश बुक में लेखांकन न करना संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन था। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़, रायपुर एवं सरगुजा ने अनियमितता भविष्य में अनुपालन के लिये स्वीकार की जबकि जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण, जाँजगीर ने कोई उत्तर नहीं दिया (फरवरी 2004)।

व्यय न किए गए शेषों को जमा न करना

आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल ने सितम्बर 1991 में निर्देश जारी किए कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जिला नोडल बैंक में 5000 रुपये की टोकन राशि एवं नोडल अधिकारी के बैंक खाते में 500 रुपये की राशि को रोकने के बाद छात्रवृत्ति के व्यय न किए गए शेषों को शासकीय खाते में जमा करना चाहिये।

3.07 करोड़ रुपये के अव्ययित शेषों को शासकीय खाते में जमा नहीं करना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2.48 करोड़ रुपये जो नवम्बर 2000 से मार्च 2003 की अवधि के दौरान व्यय नहीं किए गए थे, जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायगढ़ एवं रायपुर द्वारा शासकीय खाते में जमा नहीं किए गए।

उपरोक्त के अलावा 52.28 लाख रुपये सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सरगुजा के खाते में एवं 6.87 लाख रुपये सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर के खाते में व्यय के बिना पड़े रहे। इन्हें कोषालय में जमा नहीं किया गया।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायगढ़, रायपुर, सरगुजा एवं जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण जाँजगीर व्यय न की गई राशि को कोषालय में जमा करके सुधार की कार्यवाही के लिये सहमत थे। इस संबंध में आगामी प्रगति लेखापरीक्षा में अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2004)।

धनादेशों का अनियमित रूप से जारी करना

मध्यप्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधान जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपनाये गये, के अनुसार कोई भी व्यय बजट आवंटन की सीमा तक करना चाहिये एवं किसी भी आधिक्य की अनुमति नहीं है।

केश बुक का संधारण न करने के फलस्वरूप 59 लाख रुपये अधिक के धनादेश जारी होना

जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण जाँजगीर एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति के 5.34 करोड़ रुपये के भुगतान के आहरण के विरुद्ध 5.93 करोड़ रुपये के धनादेश जारी किए गए। इसके परिणामस्वरूप 59 लाख रुपये के अनियमित एवं अधिक के धनादेश निम्न प्रकार से जारी किये गये:

(लाख रुपये में)

कार्यालय का नाम	श्रेणी	वर्ष	आहरित राशि	चेक जारी कर राशि का वितरण	अधिक वितरण
जिला संयोजक जनजाति कल्याण जाँजगीर	अ.जा./मैट्रिक पूर्व	2000-01	30.31	56.90	26.59
	पिछड़ा वर्ग/ मैट्रिक पूर्व	2001-02	104.65	105.12	0.47
	पिछड़ा वर्ग/ मैट्रिकोत्तर	2000-01	28.25	47.74	19.49
	योग		163.21	209.76	46.55
सहायक आयुक्त जनजाति विकास रायपुर	अ.ज.जा./मैट्रिक पूर्व	2001-02	96.49	97.47	0.98
	अ.जा./ मैट्रिक पूर्व	2002-03	183.87	190.94	7.07
	पिछड़ा वर्ग/ मैट्रिकोत्तर	2002-03	90.00	94.38	4.38
	योग		370.36	382.79	12.43
	महायोग		533.57	592.55	58.98

जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण जाँजगीर ने अनियमितता स्वीकार की जबकि सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर ने कहा कि अंतिम उत्तर जाँच के बाद दिया जायगा। धनादेश के इस अधिक आहरण को रोका जा सकता था, यदि इन अधिकारियों द्वारा केश बुक का संधारण किया जाता। अधिक आहरण को नियमित करने की कार्यवाही अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2004)।

3.3.7 छात्रवृत्ति के आहरण में अनियमिततायें

छात्रवृत्ति हेतु निधियों का देरी से जारी करना

योजना के अनुसार छात्रवृत्ति दो किशतों में जैसे: प्रत्येक शिक्षण सत्र में परिशिष्ट XXXIV में दी गयी दरों के अनुसार प्रथम चार माह हेतु 30 सितम्बर तक एवं अगले छः माह के लिये 31 जनवरी तक देय थी

2000-02 के लिये 1.32 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति बाद के वर्षों में जारी की गयी

आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर, जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण, जाँजगीर एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर एवं सरगुजा के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि परिशिष्ट XXXV में दिये गये विवरण के अनुसार वर्ष 2000-02 हेतु पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मैट्रिक पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की 1.32 करोड़ रुपये की निधियाँ अगले शैक्षणिक सत्र 2001-03 में भुगतान के लिये जारी की गई।

इसी तरह, पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वर्ष 2001-02 की अविध के लिये मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति 3.16 लाख रुपये की स्वीकृति एवं भुगतान भी परिशिष्ट XXXVI में दिये गये विवरण के अनुसार देरी से किया गया। 2002-03 के दौरान ही 1264 पात्र जरूरतमंद छात्रों को उनके शिक्षण को निरंतर जारी रखने के लिये समय पर वित्तीय सहायता से वंचित करते हुए यह भुगतान सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर द्वारा किया गया।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर ने बताया (मई 2003) कि बजट आवंटन की प्राप्ति में विलम्ब छात्रवृत्ति की स्वीकृति में देरी का कारण था, जबकि आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर, सहायक आयुक्त सरगुजा एवं जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण जाँजगीर द्वारा निधियों को देरी से जारी करने के कारण सूचित नहीं किए गए।

छात्रवृत्ति का देरी से आहरण

आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में निहित है कि छात्रवृत्ति की राशि प्रत्येक वर्ष जून एवं दिसम्बर माह में आहरित की जाना चाहिये एवं जिले के अधिकारियों द्वारा नोडल बैंक में जमा की जाना चाहिये। प्रथम एवं द्वितीय किश्त के समय पर वितरण हेतु बैंक एडवाइस के द्वारा नोडल अधिकारियों के आदाता बैंक में राशि जमा की जाना चाहिये।

11.03 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति के आहरण में दो से छः माह की देरी

तथापि, नमूना जाँच किये गये चार जिलों में यह देखा गया कि 11.03 करोड़ रुपये की राशि की मैट्रिक पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के आहरण में दो से छः माह (परिशिष्ट XXXVII) की देरी हुई। इसके परिणामस्वरूप छात्रों को देरी से भुगतान हुआ।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़, रायपुर एवं सरगुजा ने बताया कि आवंटन के देरी से प्राप्ति के कारण देरी से आहरण हुआ। जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण, जाँजगीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। उपरोक्त उत्तर सही नहीं था, क्योंकि आयुक्त आदिवासी विकास से आवंटन की प्राप्ति के बाद भी आहरण दो से छः माह की देरी से किया गया।

कोषालय से निधियों का अनियमित आहरण

मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता के प्रावधान, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपनाया गया, के अनुसार वर्ष के लिये प्राधिकृत अनुदानों एवं विनियोग में से व्यय के लिये पर्याप्त निधियों का प्रावधान किया जाना चाहिये। कमियों के प्रकरण में विनियोग स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी से पुनर्विनियोग की स्वीकृति द्वारा इस कमी को पूरा किया जाता है।

आवंटन से अधिक 20 लाख रुपये की छात्रवृत्ति का आहरण

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़ के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि वर्ष 2002-03 के दौरान अनुसूचित जन जाति छात्रों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति के भुगतान के लिये 1.22 करोड़ रुपये के आवंटन के विरुद्ध 1.42 करोड़ रुपये का आहरण कोषालय से किया गया। इसके परिणामस्वरूप 20 लाख रुपये का अधिक आहरण हुआ। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़ द्वारा केश बुक का संधारण न करने के कारण अधिक आहरण को खोजा नहीं जा सका।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़ नोडल बैंक से जाँच के पश्चात कार्यवाही करने को सहमत हुए। इस संबंध में आगामी प्रगति अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2004)।

3.3.8 छात्रवृत्ति का वितरण

अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को धनादेश का अनियमित रूप से जारी किया जाना

आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ने सितम्बर 1997 में निर्देश जारी किए कि अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को छात्रवृत्ति के वितरण हेतु समीप के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के साथ संलग्न किया जाना चाहिये। जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा नोडल बैंकों से बैंक एडवाइस के द्वारा छात्रवृत्ति की राशि का हस्तांतरण नोडल अधिकारियों के संबंधित बैंक खातों में किया जाना चाहिए।

शासकीय आदेशों की अवहेलना में 1.73 करोड़ रुपये के धनादेश अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को जारी किये गये थे

तथापि, सरगुजा एवं रायपुर जिलों में 1.73 करोड़ रुपये के धनादेश (परिशिष्ट XXXVIII) विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सरगुजा (0.21 करोड़ रुपये), बाड़फनगर (0.03 करोड़ रुपये) एवं सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर (1.49 करोड़ रुपये) के द्वारा वर्ष 2000-2003 में अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों को जारी किए गए। ये भुगतान उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण अवहेलना कर किये गये।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर ने अनियमितता स्वीकारते हुए बताया कि अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों को भविष्य में चेक जारी नहीं किए जायेंगे। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सरगुजा एवं बाड़फनगर ने कोई उत्तर नहीं दिया (फरवरी 2004)।

3.3.9 अन्य अनियमिततायें

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़ एवं रायपुर द्वारा निधियों का अनियमित व्यपवर्तन

1.67 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति जिला पंचायत को व्यपवर्तित करना

2000-2003 के दौरान सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायगढ़ एवं रायपुर द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति छात्रों की 1.67 करोड़ रुपये की मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर (76.08 लाख रुपये) एवं जिला पंचायत रायगढ़ (90.99 लाख रुपये) (परिशिष्ट XXXIX) को व्यपवर्तित की गयी। तत्पश्चात उसी वित्तीय वर्ष में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर से यह राशि वापिस प्राप्त हुई एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों को वितरित की गई। जहाँ तक जिला पंचायत, रायगढ़ का संबंध है, यह राशि उसी वित्तीय वर्ष में नोडल बैंक में जमा कर दी गयी थी।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़ एवं रायपुर ने बताया कि जिलाध्यक्ष ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी रायगढ़ एवं रायपुर को यह निधि पुनर्विनियोजित की थी। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि जिलाध्यक्ष को पुनर्विनियोग की ऐसी कोई शक्तियाँ प्रदत्त नहीं की गयी है। इसलिये जिलाध्यक्ष रायपुर/रायगढ़ की यह कार्यवाही पूर्ण अनियमित थी। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यपवर्तन को नियमित करने के लिये सक्षम अधिकारी की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी (फरवरी 2004)।

बैंक स्क्रोलों का प्राप्त न होना

आयुक्त आदिवासी विकास, मध्य प्रदेश भोपाल ने 1991 में निर्देश जारी किए कि नोडल बैंकों से बैंक स्क्रोल (भुगतान किये गये प्रमाणक) प्राप्त किये जाने चाहिये एवं महालेखाकार को समायोजन के लिये अग्रेषित किये जाने चाहिए।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा एवं जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण, जाँजगीर के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि नवम्बर 2000 से मार्च 2003 की अवधि के लिए 22.85 करोड़ रुपये के बैंक स्क्रोल नोडल बैंकों से प्राप्त नहीं किये गये एवं महालेखाकार को समायोजन के लिये निम्न विवरण के अनुसार अग्रेषित नहीं किए गए:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कार्यालय का नाम				योग
	जिला संयोजक आदिवासी कल्याण जाँजगीर	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सरगुजा	
2000-2001	0.61	0.96	1.51	0.19	3.27
2001-2002	1.88	1.24	2.56	0.15	5.83
2002-2003	2.44	2.90	5.51	2.90	13.75
महायोग	4.93	5.10	9.58	3.24	22.85

यह भी देखा गया कि सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर एवं जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण, जाँजगीर द्वारा 2000-03 हेतु 2.46 करोड़ रुपये के बैंक स्क्रोल नोडल बैंकों से प्राप्त किए गये थे परन्तु महालेखाकार को समायोजन के लिये अग्रेषित नहीं किए गए। बैंक स्क्रोल प्रेषित न करने के परिणाम स्वरूप आँकड़ों का मिलान महालेखाकार द्वारा दर्ज किए गए आँकड़ों से नहीं हो सका एवं लेखाओं की सही स्थिति प्रतिबिम्बित नहीं हुई।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़, रायपुर एवं सरगुजा बैंक स्क्रोल शीघ्र प्राप्त करने के लिये सहमत थे, जबकि जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण जाँजगीर द्वारा कोई विशेष उत्तर नहीं दिया गया। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायपुर भी बैंक स्क्रोल समायोजन के लिये महालेखाकार को भेजने के लिये सहमत थे। तथापि, इन बैंक स्क्रोलों को महालेखाकार को भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मार्च 2003 अंत तक के लेखों को पूर्व में ही अंतिम रूप दिया जा चुका है।

बैंक समाधान विवरण प्रपत्र तैयार न करना

आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश भोपाल ने मार्च 1995 में निर्देश जारी किए कि लेखों का मिलान किया जाय एवं एक बैंक समाधान विवरण प्रपत्र प्रत्येक माह के अंत में तैयार किया जाय। तथापि सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायगढ़, रायपुर एवं जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण जाँजगीर ने न तो 2000-2003 के दौरान लेखों का मिलान किया और न ही बैंक समाधान विवरण प्रपत्र बनाया। लेखापरीक्षा को बैंक पास बुकें प्रस्तुत नहीं की गई। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायगढ़, रायपुर एवं

जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण जाँजगीर द्वारा अनियमितता स्वीकार की गयी। इस संबंध में सुधार की कार्यवाही अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2004)।

पृथक छात्रवृत्ति बैंक खातों का संधारण न करना

विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिये पृथक बैंक खातों का संधारण नहीं किया गया

आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ने 1991 में निर्देश जारी किए कि विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिये पृथक बैंक खातों का संधारण किया जाए।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरगुजा एवं प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गरियाबंद के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग छात्रों की मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति एवं पिछड़ा वर्ग छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिये पृथक बैंक खातों का संधारण नहीं किया गया। पृथक बैंक खातों के बिना राज्य छात्रवृत्ति हेतु आहरित निधियों में से इस प्रयोजन हेतु भुगतान की सत्यता सत्यापित नहीं की जा सकती। एक श्रेणी से दूसरे में निधियों के व्यपर्वतन को नकारा नहीं जा सकता।

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, सरगुजा ने कहा कि उच्च अधिकारियों से मार्ग दर्शन प्राप्त कर अंतिम कार्यवाही की जायेगी। प्राचार्य पृथक बैंक खाते खोलने हेतु सहमत थे। इस संबंध में प्रगति अभी भी प्रतीक्षित है (फरवरी 2004)।

3.3.10 प्रगति प्रतिवेदनों को प्रस्तुत न करना, परीवीक्षण एवं मूल्यांकन न किया जाना

आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश भोपाल ने 1991 में निर्देश जारी किए कि जिला अधिकारी अपना मासिक प्रगति प्रतिवेदन आयुक्त, आदिवासी विकास, को प्रेषित करेंगे जो इस प्रगति प्रतिवेदन को शासन को प्रेषित करेगा। आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा जिला अधिकारियों की समस्याएँ निर्णित करने के लिए उनकी बैठक आयोजित करना आवश्यक था।

उच्च स्तर पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित न करना

अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि आयुक्त, आदिवासी विकास ने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, रायगढ़, रायपुर, सरगुजा एवं जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण, जाँजगीर ने मासिक प्रगति प्रतिवेदन उच्च स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया। आयुक्त, आदिवासी विकास के द्वारा आयोजित बैठक के कार्यवृत्त भी आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए। इसलिये इस योजना के कार्यान्वयन की वास्तविक प्रगति का न तो मूल्यांकन किया गया और न ही मध्य अवधि सुधार की कार्यवाही की गयी। समस्याओं के प्रस्ताव किसी भी योजना के अभिन्न अंग होते हैं, को भी उचित प्राथमिकता नहीं दी गयी। परिणामस्वरूप योजना के कार्यान्वयन की वास्तविक दक्षता मापी नहीं जा सकी।

इसके अतिरिक्त योजना में छात्रवृत्ति के वितरण की प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के लिये राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन निर्दिष्ट है। यह देखा गया कि न तो ऐसी कोई समिति का गठन किया गया न ही राज्य/जिला या निचले स्तर पर पृथक परीवीक्षण कक्ष/खण्ड की स्थापना की गयी। न तो अधिनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये और न ही

कोई अभिलेख संधारित किया गया। योजना के आरंभ से इसके प्रभाव के मूल्यांकन हेतु किसी स्वतंत्र संस्था/एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षण भी नहीं कराया गया। परिणामस्वरूप योजना की स्थापना एवं बजट उपलब्ध कराने के अलावा विभाग छात्रों को प्राप्त होने वाले लाभों की मात्रा के आकलन के लिये अनुवर्ती कार्यवाही करने में विफल रहा।

3.3.11 निष्कर्ष

योजना को कई कारकों से नुकसान हुआ, जैसे छात्रवृत्ति का देरी से वितरण, छात्रवृत्ति का देरी से आहरण एवं छात्रवृत्ति के लिये निधियों का जारी न करना/देरी से जारी करना। जिसने जरूरतमंद छात्रों को अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखने के लिये समयोचित वित्तीय सहायता से वंचित रखा। छात्रवृत्ति के धनादेश अधिक एवं अनियमित रूप से जारी किये गये एवं बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के निधियों का व्यपवर्तन किया गया।

3.3.12 अनुशंसाएं

- योजना के प्रभाव को मूल्यांकित करने के लिये किसी स्वतंत्र संस्था/एजेन्सी द्वारा सर्वे कराना चाहिये।
- छात्रवृत्ति के वितरण की प्रगति की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के लिये आगे बिना किसी देरी के राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिये।
- जिला स्तरीय अधिकारियों के अधिकार में बजट आवंटन शीघ्र उपलब्ध कराना चाहिये ताकि जरूरतमंद छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित हो सके।
- सभी वित्तीय व्यवहार आहरण एवं वितरण अधिकारी की केश बुक में दर्ज किए जाने चाहिये।

मामला शासन को सूचित किया गया था (अगस्त 2003); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (फरवरी 2004)।

जल संसाधन विभाग

3.4 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

विशेषतायें

भारत सरकार ने 1997-98 की अवधि के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आरंभ कर सिंचाई क्षेत्र में दखल दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसी निर्माणधीन परियोजनायें, जिन पर काफी काम हो चुका था एवं निधियों के अभाव में शेष निर्माण कार्य शिथिल पड़ा था को त्वरित रूप से पूर्ण करना था। इसके लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गयी।

छत्तीसगढ़ राज्य में पाँच परियोजनाओं का चयन किया गया जिनके लिए 190.65 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता एवं 127.67 करोड़ रुपये का राज्यांश वर्ष 1997-98 से 2002-03 की अवधि में जारी किया गया। परियोजना पर 296.37 करोड़ रुपये एवं स्थापना व अन्य मदों पर 82.72 करोड़ रुपये, कुल 379.09 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। समीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं

चार कृषि सत्रों या दो वर्षों में कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई। 24 से 36 माह की सीमा तक की समय वृद्धि एवं मार्च 2003 तक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्राक्कलन पर 1.15 करोड़ रुपये से 43.80 करोड़ रुपये तक की लागत वृद्धि थी।

(कंडिका 3.4.1 एवं 3.4.6)

मार्च 2003 तक 1.14 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध 0.61 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित हुई। 2001-03 की अवधि में सिंचाई क्षमता का उपयोग न करने से 2.52 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(कंडिका 3.4.6 एवं 3.4.7)

85.10 करोड़ रुपये की सीमा तक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की निधियों का व्यपवर्तन।

(कंडिका 3.4.6)

भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को राज्य शासन के वन विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जगदलपुर को निजी एवं वन भूमि के अधिग्रहण एवं नहर सड़क क्रॉसिंग के निर्माण हेतु 37.94 करोड़ रुपये के अग्रिम दिये गये, जिन्हें भुगतान विवरण प्राप्त किए बिना कार्य पर प्रभारित किया। हसदेव बांगो परियोजना में 2.04 करोड़ रुपये के गतिशीलन एवं सुरक्षित अग्रिमों को अनियमित रूप से अंतिम व्यय के रूप में दर्ज किया गया जबकि अभी भी मार्च 2003 की स्थिति में 51.78 लाख रुपये की वसूली की जानी थी।

(कंडिका 3.4.6)

267.82 करोड़ रुपये की अन्य वित्तीय अनियमिततायें भी देखीं गयीं जिनमें अन्य के साथ (I) उच्च निविदा दरों की स्वीकृति से 77.46 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अपरिहार्य लागत (II) अनुमोदित मानदण्डों से 59.91 करोड़ रुपये के अधिक प्रशासकीय व्यय (III) अपूर्ण कार्य के कारण 30.73 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय सम्मिलित था।

(कंडिका 3.4.5, 3.4.6 एवं 3.4.7)

3.4.1 पृष्ठ भूमि

छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधनों में कुछ क्षेत्रों के अलावा बहुत धनी है। राज्य में 75 प्रतिशत निर्भरता पर 5260 करोड़ घन मीटर का अनुमानित धरातलीय प्रवाह है। राज्य ने पुनर्गठन के बाद अपनी जल योजना प्रतिपादित की। राज्य के पुनर्गठन के पूर्व दो वृहद सिंचाई परियोजनायें (हसदेव एवं जोंक व्यपवर्तन) एवं एक मध्यम सिंचाई परियोजना (शिवनाथ व्यपवर्तन) को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित किया गया। इसके बाद दो अतिरिक्त मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (कोसरटेड़ा एवं बरनई) को 375.96 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य पाँच निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम परियोजनायें जो कि पूर्णता की ओर अग्रसर थीं एवं जिनमें पर्याप्त विनियोग किया जा चुका था, परन्तु राज्य शासन की संसाधन सामर्थ्य के बाहर थीं, के निर्माण को त्वरित रूप से पूर्ण करना था। कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्ण परियोजनाओं से दो वर्ष (अगले चार कृषि सत्रों) में अधिकतम लाभ प्राप्त करना था।

3.4.2 कार्यान्वयन प्रबंध

ये परियोजनायें मूलतः राज्य शासन (मध्यप्रदेश शासन अक्टूबर 2000 तक एवं उसके बाद छत्तीसगढ़ शासन) द्वारा योजना आयोग से निवेश निर्बाधन सहित बनायी गयी थी।

राज्य स्तर पर परियोजना प्रमुख अभियंता की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा निष्पादित की जा रही है। प्रत्येक परियोजना एक मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में है जिसे अधीक्षण यंत्रियों एवं कार्यपालन यंत्रियों द्वारा सहायता दी जाती है। कार्यक्रम की मॉनीटरिंग केन्द्र स्तर पर जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग एवं राज्य स्तर पर केन्द्रीय जल आयोग से संबंधित मुख्य अभियंताओं द्वारा किया जाना है।

3.4.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

समय सीमा में अत्यधिक लाभों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम के बताए गए उद्देश्यों के संबंध में इसके निष्पादन/प्रभाव का मूल्यांकन निर्धारित एवं परियोजना प्रबंधन हेतु अपनाई गई क्रियाविधि की उपयुक्तता के परीक्षण हेतु मार्च एवं अगस्त 2003 के मध्य लेखापरीक्षा की गयी। 1997-2003 की अवधि के जल संसाधन विभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी।

3.4.4 वित्तीय प्रबंधन

वित्तीय ढांचा

1997-99 की अवधि में केन्द्रीय ऋण सहायता ऋण के रूप में समतुल्य अंशदान आधार जैसे 1:1 केन्द्र एवं राज्य अंश के आधार पर दी जा रही थी इसके बाद यह 1999-2000 से 2002-2003 तक 2:1 हो गयी। इसके पश्चात एक फरवरी 2002 से 100 प्रतिशत ऋण सहायता "फास्ट ट्रेक" के अंतर्गत जल संसाधन मंत्रालय/वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा समय समय पर निर्धारित ब्याज दर पर प्रदान की गयी। लंबित शेष पर ब्याज सहित ऋण की पुनर्वापसी 20 वार्षिक समान किश्तों में की जाना थी।

तथापि 50 प्रतिशत ऋण पर प्रारंभिक 5 वर्षों में पुनर्भुगतान की रियायत थी इसके बाद 15 समान वार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान किया जाना था। 1997-98 से 2002-2003 तक मध्यप्रदेश शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा परियोजनावार एवं वर्ष वार जारी की गयी निधियों (190.65 करोड़ रुपये), उपयोग की गयी निधियों, मूलधन की वापसी (4.23 करोड़ रुपये) एवं ब्याज (20.50 करोड़ रुपये) का विवरण परिशिष्ट - XL में दर्शाया गया है।

3.4.5 परियोजना निरूपण की कमियाँ

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित पाँच परियोजनाओं की समीक्षा में निम्न कमियाँ प्रकट हुईं।

समय सीमा की अनियमित वृद्धि

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (सामान्य) के अधीन परियोजनाओं को दो वर्ष में पूर्ण किया जाना था। परंतु निम्न परियोजनाओं में परियोजना अवधि दो वर्ष की अवधि से आगे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के दिशा निर्देशों की अवहेलना कर बढ़ायी गयी।

- हसदेव बांगो परियोजना के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्ताव में पूर्णता समय मार्च 2003 (जैसा कि 6 वर्ष) दिया गया । इसलिये इस परियोजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (सामान्य) में सम्मिलित करना एवं 1997-98 से इस कार्यक्रम में निधियाँ स्वीकृत करना स्वयं ही त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के दिशा निर्देश का उल्लंघन था । आगे, वर्ष 2002 में यह परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (फास्ट ट्रेक) के अंतर्गत 1 वर्ष में पूर्ण करने के लिये सम्मिलित की गयी। परंतु परियोजना दोनों सामान्य एवं फास्ट ट्रेक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अपूर्ण रही । परियोजना के निष्पादन में विलंब भू-अधिग्रहण एवं ठेकेदारों के निर्धारण में देरी के कारण होना बताया गया।
- कोसरटेडा परियोजना की त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में स्वीकृति जब परियोजना की पूर्णता 2002-06 (चार वर्ष) के मध्य नियोजित थी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के विपरीत थी ।

बस्तर जिले³⁸ में 2000-01 से 2002-03 की अवधि में क्षमता का सृजन, उपयोग एवं उपयोग में कमी निम्नानुसार है -

वर्ष	क्षमता का सृजन (संचयी हेक्टे. में)	क्षमता का उपयोग (हेक्टे. में)	उपयोग में कमी (हेक्टे. में)
2000-01	8,014	766	7,246
2001-02	8,014	1,097	6,917
2002-03	11,354	2,307	9,047
योग	27382	4170	23,210

जब इस सिंचाई क्षमता के अल्प उपयोग को इंगित किया गया, कार्यपालन यंत्री बस्तर संभाग ने कहा (अप्रैल 2003) कि बस्तर में पर्याप्त वर्षा 1400 मि.मी. से 1600 मि.मी. के कारण जल की मांग कम थी एवं इसलिये सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा था। यह भी कि स्थानीय निवासियों की अधिकतम आवश्यकतायें वन उत्पाद से पूर्ण हुई थी। सिंचाई क्षमता के पर्याप्त उपयोग के लिये कदम उठाये जा रहे थे।

चूंकि बस्तर जिले में पूर्व से ही सृजित सिंचाई क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा था, जल उपयोग कर्ता से कोई मांग न होने से यह संदेहास्पद है कि कोसरटेडा में निहित क्षमता 11120 हेक्टेयर का कभी उपयोग होगा। परिणामतः सम्पूर्ण परियोजना सुविचारित प्रतीत नहीं होती।

- जून 2002 में शिवनाथ परियोजना पूर्ण होने की घोषणा पर बरनाई परियोजना फास्ट ट्रेक कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2002-2003 में स्वीकृत की गयी थी। यह अनुपयुक्त था क्योंकि आधार भूत आवश्यकता भू-अधिग्रहण (1.618 हे.) होना अभी भी बाकी था (मार्च 2003)। आगे, शिवनाथ परियोजना पूर्ण होने की घोषणा गलत थी क्योंकि यह अभी भी पूर्ण की जानी थी (मार्च 2003)।

सिंचाई क्षमता का उपयोग न होना

जोंक व्यपवर्तन परियोजना का रूपांकन केवल वर्षा ऋतु में जल लेने के लिये किया गया था एवं वहाँ सिंचाई के उद्देश्य से कमी की अवधि में जल प्रदाय की सुनिश्चितता के लिये कोई जलाशय नहीं था। इसलिये यह संदेह था कि क्या किसी समय पूर्ण सिंचाई क्षमता का उपयोग किया जा सकेगा।

ग्रीष्म अवधि में जल की अनुपलब्धता के कारण 14.53 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल होना

शिवनाथ व्यपवर्तन पर 14.53 करोड़ रुपये का संपूर्ण व्यय जिसमें 7.19 करोड़ रुपये का व्यय त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित था निष्फल हुआ क्योंकि नदी में ग्रीष्म माहों में जल की अनुपलब्धता थी एवं रबी में कोई फसल नहीं ली जाती थी। परिणामतः कोई सिंचाई संभव नहीं थी। इस दोष को दूर करने के लिये कार्यपालन

³⁸ थिरामुनादी व्यपवर्तन योजना, मध्यम सिंचाई परियोजना एवं (2) 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं

यंत्री जल संसाधन संभाग राजनांदगांव ने मुख्य अभियंता को नवंबर 2002 में ड्राइविंग हेड की ऊँचाई बढ़ाने, वीयर की उर्ध्वधारा पर चौड़ाई में वृद्धि एवं क्रास रेग्युलेटर्स के निर्माण हेतु एक नया प्रस्ताव किया। ये निर्माण 11 वें वित्त आयोग की योजना निधि से किये जाने थे। वर्तमान स्थिति प्रतीक्षित है (अप्रैल 2003)।

आगे, यद्यपि इस परियोजना को पूर्ण होना दिखाया गया था (जून 2002), यह देखा गया कि मुख्य नहर के 0.9 कि.मी. एवं वितरणियों के 25.33 कि.मी.के कार्य अभी भी पूर्ण होने थे (अप्रैल 2003)। अतः बतायी गयी परियोजना की पूर्णता संदेहास्पद प्रतीत होती है।

3.4.6 परियोजना कार्यान्वयन में कमियाँ

कार्यक्रम कार्यान्वयन की प्रगति

1997-2003 की अवधि में परियोजनावार अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के लक्ष्य एवं इनकी प्राप्ति नीचे दर्शाये अनुसार है -

परियोजना का नाम	प्रारंभ करने का वर्ष	अतिरिक्त सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)		कमी (हेक्टे.)	कमी का प्रतिशत	पूर्णता का दिनांक
		लक्ष्य	सृजन			
वृहद				सृजन		
हसदेव बांगो	1997-98	86500	52179	34321	39.68	पूर्ण नहीं। मार्च 2004 तक दिनांक बढ़ायी गयी।
जोंक व्यपवर्तन	1999-2000	9569	3832	5737	59.93	- तदैव -
मध्यम						
शिवनाथ व्यपवर्तन	1997-98	5238	5238	निरंक	0 ³⁹	जून 2002 में पूर्ण होना बताया गया।
कोसरटेडा	2002-03	11120	निरंक	11120	100.00	पूर्ण नहीं / प्रक्षेपित दिनांक मार्च 2006 ।
बरनाई	2002-03	1485	150	1335	89.89	अपूर्ण जून 2004 तक दिनांक बढ़ाई गई।
योग		113912	61399	52513		

उद्देश्यों की प्राप्ति में कमी 39.68 से 100 प्रतिशत के मध्य थी। पूर्णता की अवधि 2 वर्ष बढ़ाने के पश्चात भी परियोजनायें अपूर्ण रही।

इन परियोजनाओं की नियोजित क्षमता 243379 हेक्टेयर थी जिसके विरुद्ध 129467 हेक्टेयर का सृजन त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के पूर्व किया गया। 1,13,912 हेक्टेयर की क्षमता का सृजन त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में किया जाना था जिसके विरुद्ध 61,399 हेक्टेयर का सृजन किया गया। 5 परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 1,90,866 हेक्टेयर की सृजित क्षमता में से केवल 1,12,067 हेक्टेयर का वास्तविक उपयोग किया जा सका।

³⁹ शिवनाथ परियोजना पूर्ण होना बताया गया है। परंतु नहर कार्य का कुछ अंश अपूर्ण रहने से एवं दोषपूर्ण रूपांकन के कारण सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं हो सका।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत सभी परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट - XLI एवं XLI (क)** में दी गयी है। एक परियोजना (शिवनाथ व्यपवर्तन) जून 2002 में पूर्ण होना बताया गया है परंतु चूंकि इससे पूर्व नहर का एक हिस्सा पूर्ण नहीं हुआ था कोई सिंचाई प्राप्त नहीं हो सकी। परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु एजेंसी का विलंब से निर्धारण, भू-अधिग्रहण, वन निर्बाधन एवं ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति को परियोजना के पूर्ण होने में विलंब का कारण बताया गया।

समय एवं लागत आधिक्य

1973 से 1984 के मध्य त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत पाँच परियोजनायें 130.13 करोड़ रुपये के लिये मूलतः अनुमोदित की गयीं। अद्यतन संशोधित लागत 1200.43 करोड़ रुपये है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शेष कार्य की प्रस्तावित लागत 375.96 करोड़ रुपये थी। जिसके विरुद्ध मार्च 2003 तक 379.09 करोड़ रुपये का व्यय निम्न दर्शाये अनुसार किया गया था:

(करोड़ रुपये में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	स्वीकृति (वर्ष)	लागत (मूल)	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के समय लागत	संशोधित लागत	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमानित लागत	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय (मार्च 2003 तक)	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के पूर्व व्यय
1.	हसदेव बांगो बहुदृष्टीय परियोजना	1980	115.30	1020.00	1043.88 (अभी भी अनुमोदित होना है)	304.74	348.54	583.65
2.	जॉक व्यपवर्तन	1973	4.14	58.48	58.48	18.80	10.59	29.99
3.	शिवनाथ व्यपवर्तन (मध्यम)	1976	0.42	12.13	16.73	4.76	7.19	7.34
4.	कोसरटेड़ा (मध्यम)	1980	6.01	62.60	62.60	45.06	9.02	17.54
5.	बरनई (मध्यम)	1984	4.26	18.74	18.74	2.60	3.75	15.21
योग			130.13	1171.95	1200.43	375.96	379.09	653.73

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत लागत वृद्धि 1.15 करोड़ रुपये से 43.80 करोड़ रुपये की सीमा तक थी

मार्च 2003 की स्थिति में लागत वृद्धि प्रारंभिक परियोजना लागत पर 1.15 करोड़ रुपये से 43.80 करोड़ रुपये की सीमा तक थी। समय वृद्धि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन 24 से 36 माह तक थी। जैसा कि **परिशिष्ट- XLII** में दिखाया गया है।

वित्तीय प्रबंधन

नमूना जाँच के दौरान निम्न अनियमिततायें देखी गयीं:

केन्द्रीय ऋण सहायता की अधिक प्रतिपूर्ति

27.26 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता की अधिक प्रतिपूर्ति के कारण 3.95 करोड़ रुपये के ब्याज का अपरिहार्य व्यय

1997-2003 की अवधि में राज्य शासन को 190.65 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गयी। इसके विरुद्ध 296.37 करोड़ रुपये का कार्य पर एवं 82.72 करोड़ रुपये स्थापना (प्रशासन) पर व्यय किया गया। राज्यांश व्यय 127.67 करोड़ रुपये कार्य पर था (परिशिष्ट XLIII)। परंतु राज्य शासन व्यय का अपना हिस्सा उपलब्ध नहीं करा पायी एवं स्वीकार्यता से अधिक 27.26 करोड़ रुपये के ऋण की प्रतिपूर्ति की गयी फलस्वरूप 3.95 करोड़ रुपये के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

निधियों का व्यपवर्तन

प्रशासन पर 59.91 करोड़ रुपये अधिक व्यय किये गये

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय ऋण सहायता के 15 प्रतिशत तक स्थापना लागत का प्रावधान था। इस व्यय को वर्ष 2001-02 से राज्य के अंश से समायोजित किया जाना था परंतु कार्यभारित स्थापना एवं दैनिक मजदूरी श्रमिकों के वेतन, नियमित स्थापना, विविध मदों एवं प्रतिशत प्रभारों पर 85.10 करोड़ रुपये का व्यय कार्य पर केन्द्रीय ऋण सहायता के दावे हेतु बुक किया गया (परिशिष्ट-XLIV)। आगे 59.91 करोड़ रुपये का अधिक प्रशासनिक व्यय 15 प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा से भी अधिक था।

अग्रिम भुगतान को अंतिम व्यय के रूप में बुक करना

21.50 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान अंतिम व्यय के समान माना गया। यद्यपि 16.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया परंतु भूमि का अधिग्रहण अभी भी बाकी है

- भू-अधिग्रहण अधिकारी को 21.50 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान अंतिम व्यय के रूप में बुक किया गया था। परंतु भुगतान किये गये प्रमाणकों के सहित पूर्ण भू-अधिग्रहण भू-अधिग्रहण अधिकारी से प्रतिक्षित था (जुलाई 2003)। इसी तरह 16.44 करोड़ रुपये (मार्च 2002 तक 9.40 करोड़ रुपये एवं 2002-03 की अवधि में 7.04 करोड़ रुपये) का भुगतान वन विभाग को किया गया परंतु कोसरटेड़ा परियोजना के लिये भूमि अभी भी अधिग्रहित की जानी है।

51.78 लाख रुपये के अग्रिम वसूली के लिये लंबित थे

- 1.74 करोड़ रुपये के गतिशीलन अग्रिम एवं 30.62 लाख रुपये के सुरक्षित अग्रिम का ठेकेदार को भुगतान कार्य पर प्रभारित किया गया। इसके विरुद्ध हंसदेव बांगों परियोजना के संबंध में 35.39 लाख रुपये का गतिशीलन अग्रिम एवं 16.39 लाख रुपये का सुरक्षित अग्रिम वसूली के लिये लंबित था (मार्च 2003)।

69.00 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान वास्तविक कार्य किये बिना अंतिम व्यय की तरह दर्ज किया

- कार्यपालन यंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जगदलपुर को कोसरटेड़ा परियोजना के सड़क पर नहर क्रॉसिंग निर्माण के लिये 69 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया। इसे वास्तविक कार्य निष्पादन के बिना परियोजना पर अंतिम व्यय के रूप में बुक किया गया।

नहर एवं वितरणियों का निर्माण न करना

ठेकेदार पर देरी के लिये 2.13 करोड़ रुपये का दंड प्रभावित नहीं किया

- निविदा की शर्तों के अनुसार बरडुली एवं परसाडीह वितरिकाओं का वितरणी व्यवस्था सहित हंसदेव बांगों परियोजना की खरसिया शाखा नहर के कि.मी. 24.60 से 42 कि.मी. की संपूर्ण नहर व्यवस्था का मिट्टी कार्य 15 दिसंबर 2002 तक पूर्ण होना था। संपूर्ण ठेका कार्य 13 मई 2003 तक पूर्ण किया जाना था। परंतु निर्धारित दिनांक तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ एवं बिना यह दर्शाये कि दंड प्रभावित होगा या नहीं 15 फरवरी 2004 तक समयवृद्धि दी गयी। ठेके की कंडिका 3.13 के अनुसार 16 दिसंबर 2002 से 14 फरवरी 2004 की अवधि के लिये 50,000 रुपये प्रतिदिन का दंड प्रभारित न करने से राजकोष को 2.13 करोड़ रुपये की हानि हुई।

उत्तर में कार्यपालन यंत्री हंसदेव बांगों परियोजना नहर संभाग क्रं. 3 सक्ति ने कहा कि शासन/उच्च अधिकारियों के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। परंतु स्वयं कार्यपालन यंत्री द्वारा ठेके की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती थी। अतः उत्तर स्वीकार्य नहीं था।

- जोंक व्यपवर्तन योजना 1973-74 में प्रारंभ हुई एवं महानदी की सहायक जोंक नदी पर डायवर्सन वीअर के निर्माण से विचारित थी। दांयी तट पर 72 कि.मी. लंबी मुख्य नहर भी 14569 हेक्टे. क्षमता के सृजन के लिये कल्पित थी। परियोजना जो जून 1981 में पूर्ण की जानी थी अभी भी मार्च 2003 की स्थिति में अपूर्ण है।
- शिवनाथ व्यपवर्तन परियोजना की मुख्य नहर के आर. डी. 39500 से 40830 मीटर एवं 40950 से 41400 मीटर के मिट्टी कार्य हेतु मैसर्स उपाध्याय की निविदा अनुमानित लागत 25.64 लाख रुपये के विरुद्ध 36.22 लाख रुपये के ठेका मूल्य अर्थात् 1991 से प्रभावशील एकीकृत दर अनुसूची के 41.93 प्रतिशत अधिक पर स्वीकार की गयी। कार्य जुलाई 1998 से नौ माह में वर्षा ऋतु सहित पूर्ण किया जाना था (अनुबंध क्रं. 22 डी एल/1998-99)।

अपूर्ण कार्य से 17.96 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा

चूंकि कार्य कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण नहीं हुआ था, दांडिक कंडिका के अंतर्गत कार्य पूर्ण करने के लिए 10 अक्टूबर 2000 तक समयवृद्धि स्वीकार की गयी। 17.96 लाख रुपये के निष्पादित कार्य के माप लिए एवं भुगतान किया गया। इसके बाद ठेकेदार ने कार्य अपूर्ण छोड़ दिया अनुबंध की धारा 4.3.3.3 के अधीन ठेका अप्रैल 2001 में विखण्डित किया गया। परंतु अपूर्ण कार्य न तो मापा गया और न ही शेष कार्य दूसरी एजेंसी से पूर्ण कराया गया फलस्वरूप 17.96 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ। ठेकेदार पर कार्य लागत (25.64 लाख रुपये) का आठ प्रतिशत जैसे 2.05 लाख रुपये की वसूली के लिये दांडिक कार्यवाही भी सक्षम अधिकारी (मुख्य अभियंता) द्वारा नहीं की गयी।

सिंचाई क्षमता के सृजन के बिना परियोजना पर 9.02 करोड़ रुपये का व्यय किया गया

- कोसरटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना बस्तर जिले में सालेमेटा गांव के पास मरकंडी नदी की सहायक नदी कोसरटेडा नाला पर एक मिट्टी के बांध के निर्माण से विचारित थी परियोजना 1985 तक पूर्ण होनी थी। वर्ष 2002-03 में परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन लायी गयी। भू-अधिग्रहण के न होने एवं नहर व्यवस्था के अपूर्ण रहने के कारण सिंचाई क्षमता के सृजन के बिना वर्ष

2002-03 में 9.02 करोड़ रुपये का व्यय (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन) किया गया।

नहर एवं वितरणियाँ अपूर्ण रहने से 3.75 करोड़ रुपये निष्फल रहे

- बरनई परियोजना सरगुजा जिले की अम्बिकापुर तहसील में बरनई नदी पर 2010 मी. लम्बे एवं 24.72 मी. ऊँचे मिट्टी के बाँध से विचारित थी। परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के फास्ट ट्रेक कार्यक्रम के अधीन वर्ष 2002-03 की अवधि में ली गयी। नहर एवं वितरणियों का हिस्सा अपूर्ण रहा। परिणामस्वरूप सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं हो सका एवं 3.75 करोड़ रुपये का व्यय निष्फल रहा।

ढेका प्रबंधन में कमियाँ

हसदेव बांगो परियोजना

ऊँची दरों पर निविदा स्वीकृति से 77.46 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत

परिशिष्ट- XLV में दर्शाये अनुसार खरसिया शाखा नहर के मिट्टी कार्य एवं संरचनाओं के लिये फरवरी 2002 में एकीकृत दर अनुसूची से 20.20 प्रतिशत से 48.46 प्रतिशत की सीमा तक अधिक दरें स्वीकृत की गयीं। यह असामान्य रूप से अधिक थीं। परंतु दरों की प्रवृत्ति दिसम्बर 2001 व जनवरी 2002 के मध्य एकीकृत दर अनुसूची से 17.03 प्रतिशत से 45.02 प्रतिशत तक एवं मई 2002 में एकीकृत दर अनुसूची से 16.20 प्रतिशत कम जून 2002⁴⁰ में एकीकृत दर अनुसूची से 8.99 प्रतिशत कम थीं यह निरंतर दरों में कमी की ठेके की प्रवृत्ति को इंगित करता है। इसके फलस्वरूप सरल क्र. छः से आठ की, सरल क्र. 5 जो कि एकीकृत दर अनुसूची से 17.03⁴¹ प्रतिशत कम से तुलना करने पर 77.46 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आयी।

उत्तर में मुख्य अभियंता ने कहा (जुलाई 2003) कि एकीकृत दर 1998 से 17.03 प्रतिशत कम दरें शासन या मुख्य अभियंता ने लोक हित में स्वीकार की थी, यद्यपि निविदाओं की दरें कार्य योग्य नहीं थीं। 17.31 से 18 कि.मी. (सरल क्र.3), 18 से 19 कि.मी. (सरल क्र.4) व 19 से 20 कि.मी. (सरल क्र.2) में कार्य ठेकेदारों द्वारा पूर्ण नहीं किये जा सके एवं ठेके अनुबंध की धारा 4.3.3.3 के अंतर्गत विखण्डित किये गये। **परिशिष्ट-XLV** के सरल क्र.6 के कार्य के संबंध में यह कहा गया कि औसत बैड फिलिंग चार मी. थी एवं बैक फिलिंग की जानी थी जिसके लिये मिट्टी दो कि.मी. से परिवहन करना थी। मे.प्रसाद एण्ड कंपनी की निविदा स्वीकार करने के संबंध में यह कहा गया कि निविदा एक मुश्त "टर्न की बेसिस" पर आमंत्रित की गयी थी एवं इसमें सर्वे, रेखांकन, निर्माण एवं नहर के दो वर्ष तक के संधारण का कार्य भी सम्मिलित था। अतिरिक्त मदों का भुगतान, मात्रा में वृद्धि एवं मूल्य वृद्धि प्रभार हेतु भुगतान नहीं किये जाने थे एवं इस प्रकार फार्म बी की मद दर से "टर्न की" निविदा की तुलना न्याय संगत नहीं है।

⁴⁰ सरल क्र.5 पर दर्शाई निविदा स्वीकृति की अवधि सरल क्र.7 की निविदा से निकटतम थी, इसलिये दरों की तुलना सरल क्र. 5 से ली गयी

⁴¹ सरल क्र.5 पर दर्शाई निविदा स्वीकृति की अवधि सरल क्र.7 की निविदा से अधिक निकटतम थी इसलिये दरों की तुलना सरल क्र.5 से की गयी

मुख्य अभियंता का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उनके द्वारा बताये गये कार्य वे नहीं हैं जिनकी तुलना की गई है **परिशिष्ट-XLV** के सरल क्र.छ: व आठ के ठेकों जो मद दर निविदाएं थीं की दरें उच्च पक्ष में स्वीकृत की गयी थीं। निविदाओं की प्रवृत्ति एकीकृत दर अनुसूची से कम की थी जैसा कि **परिशिष्ट-XLV** के सरल क्र.5 से तुलना करने पर पाया गया। "टर्न की" बेसिस की निविदा के संबंध में भी उत्तर स्वीकार्य नहीं क्योंकि ठेके स्वयं ठेकेदार के दक्ष सर्वेक्षण के आधार पर स्वीकार किये गये। विस्तृत प्राक्कलन के उपरांत 117 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कार्य प्रदान किया गया। इसलिये अधिक मात्राओं एवं अतिरिक्त मदों के भुगतान का प्रश्न ही नहीं था। रेखांकन व रूपांकन का कार्य विभागीय स्टाफ द्वारा किया जा सकता था। इससे अधिक, ठेकेदार ने कार्य में विलंब किया एवं कार्य पूर्ण करने के लिये 14 फरवरी 2004 तक समयवृद्धि स्वीकृत की गयी। आगे मूल्य वृद्धि भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि ठेका 12 माह या इससे कम अवधि के लिये दिया गया था।

मुख्य अभियंता द्वारा श्री हरदयाल सिंह पटेल की निविदा (सरल क्र.8) की स्वीकृति के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया और भी कि श्री हरदयाल की एकल निविदा दर वास्तविक स्तर पर लाने के लिये समझौते का प्रयत्न नहीं किया गया।

कार्यपालन यंत्री, हसदेव बांगो नहर संभाग, खरसिया के पर्यवेक्षण में "टर्न की बेसिस" पर वितरण प्रणाली सहित खरसिया शाखा नहर के 24.60 कि.मी. से 42 कि.मी. का निर्माण कार्य निष्पादित किया जाना था।

अभिलेखों की जाँच से निम्नानुसार प्रकट हुआ:-

कार्य की मात्रा में कमी के फलस्वरूप ठेकेदार को 2.92 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ।

- अनुबंध के संलग्नक एफ-1 व एफ-2 के अनुसार 173.70 करोड़ रुपये ठेका मूल्य का 31.522 प्रतिशत नहर लंबाई 24.60 कि.मी. से 42 कि.मी. के लिये दिया गया था। परंतु लागत में किसी अनुरूपी कमी के बिना नहर की लंबाई 42.00 कि.मी. से 41.07 कि.मी. तक कम कर दी गयी। फलस्वरूप ठेकेदार को 2.92 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ।
- स्वीकृत अनुमान एवं अनुमोदित भुगतान अनुसूची के अनुसार बन्ड्स के लिये वाटरिंग एवं कॉम्पेक्शन एवं सभी लीड एवं लिफ्ट के साथ 53 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 6.25 करोड़ रुपये के मिट्टी कार्य की मात्रा 1179582 घ.मी. थी। इसके विरुद्ध 14,76,133 घ.मी. के लिये 7.82 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। फलस्वरूप स्वीकृत अनुसूची के अनुसार अधिक भुगतान हुआ। ठेकेदार को 1.57 करोड़ रुपये की सीमा तक अनुचित लाभ हुआ।
- अनुबंध के भाग-तीन की धारा 4.17.8 (कॉम्पेक्शन) के अनुसार 3 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली अनलाइन्ड नहर के लिये शुष्क घनत्व अधिकतम शुष्क घनत्व के 90 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। परंतु 10 प्रतिशत सिकुड़न को बन्ड्स के कुल मिट्टी कार्य की मात्रा 14,76,133 घ.मी. से नहीं घटाया गया फलस्वरूप अधिक भुगतान एवं ठेकेदार को 78.24 लाख रुपये का अनुचित लाभ हुआ। और भी कि आर.डी. 26170, 26190 मीटर एवं 26360 से 26390 मीटर पर कॉम्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार निम्न स्तर का पाया गया। विभाग ने इस तथ्य को माना और

10 प्रतिशत सिकुड़न के न काटने से ठेकेदार को 78.24 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

कहा कि निम्न स्तरीय कार्यों के लिये वसूली की जायगी। परंतु ठेकेदार द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया और न ही कोई वसूली की गयी (सितम्बर 2003)।

खुदाई स्थल पर मूरूम का उपयोग न करने से 9.69 लाख रुपये का अपरिहार्य दायित्व।

- खुदाई के लिये 99171 घ.मी. कड़ी मूरूम स्थल पर उपलब्ध थी। फिर भी 8.50 कि.मी. से 14689 घ.मी. कड़ी मूरूम 65.97 रुपये प्र.घ.मी. की दर से परिवहन प्रभार स्वीकार किये गये, फलस्वरूप 9.69 लाख रुपये का अनियमित भुगतान हुआ।

इस संबंध में कार्यपालन यंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया (सितम्बर 2003)।

सक्ति शाखा नहर की बरडूली एवं परसाडीह वितरणी प्रणाली का निर्माण कार्य "टर्न की बेसिस" पर कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग क्रं. 3 सक्ति के पर्यवेक्षण में निष्पादित किया जाना था। कुल ठेका लागत 6.97 करोड़ रुपये के विरुद्ध 2.31 करोड़ रुपये (किये गये कार्य का सकल मूल्य 2.47 करोड़ रुपये) का भुगतान 12 मई 2003 को किया गया। अभिलेखों की जांच से निम्नानुसार प्रकट हुआ -

सर्वे आदि के आंशिक निष्पादन के भुगतान के फलस्वरूप 23.96 लाख रुपये का अनुचित लाभ हुआ

- सर्वे, रेखांकन, रूपांकन प्राक्कलन आदि का भुगतान सभी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने पर ही किया जाना था। परंतु आंशिक क्रियाकलापों के लिये जुलाई 2002 से मई 2003 के मध्य 23.96 लाख रुपये के अतिरिक्त संविदात्मक भुगतान के फलस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ। कार्य अभी भी पूर्ण होना है।

मिट्टी कार्य के आंशिक निष्पादन के भुगतान के फलस्वरूप ठेकेदार को 1.16 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ

- नहर प्रणाली का संपूर्ण मिट्टी कार्य पूर्ण होने पर ही मिट्टी कार्य का भुगतान किया जाना था। परंतु 1.16 करोड़ रुपये के मिट्टी कार्य का भुगतान मिट्टी कार्य के आंशिक निष्पादन के लिये किया गया जैसे नहर की खुदाई एवं बैचिंग, फलस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ। संपूर्ण नहर प्रणाली का मिट्टी कार्य अभी भी किया जाना है (सितम्बर 2003)।

उत्तर में कार्यपालन यंत्री नहर संभाग क्रं. 3 सक्ति ने कहा कि सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित अनुसूची के अनुसार ही भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध की अनुसूची "एफ" के अनुसार कार्य के पूर्ण मद के पूर्ण होने पर ही भुगतान किये जाने चाहिये। इसलिये किया गया भुगतान अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन है।

अतिरिक्त सुरक्षित अग्रिम के न काटने से 25.51 लाख रुपये का अनुचित लाभ

- हसदेव बांयीतट नहर के कि.मी. 48 से 49.77 कि.मी. (अंतिम छोर) का शेष मिट्टी कार्य एवं सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग का निर्माण कार्य में. रायपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को 0.98 करोड़ रुपये में जून 2000 में (अनुबंध क्रं. 20/2000-01) दिया गया। पूर्णता का समय वर्षा ऋतु सहित 14 माह था। 1.08 करोड़ रुपये का भुगतान अप्रैल 2003 तक किया गया। तथापि ठेकेदार ऊँची दर के कार्य मद (मिट्टी कार्य एवं कंक्रीट मद) पूर्ण करके निम्न दर के कार्य मद अपूर्ण छोड़ गया। परंतु असंतुलित दरों⁴² के लिये 33.96 लाख रुपये के अतिरिक्त सुरक्षित अग्रिम में

⁴² मद दर अनुबन्ध में जब ठेकेदार द्वारा कुछ मदों की उच्च दरें एवं कुछ मदों की दरें निम्न दरें अंकित की गई हैं तो ऐसी असंतुलित निविदाओं अथवा फ्रन्ट इंड भारित निविदाओं में ठेकेदारों द्वारा पहले उच्च दरों की मदें करने तथा निम्न दर की मदें अपूर्ण छोड़ने की रोकथाम हेतु अतिरिक्त प्रतिपूर्ति जमा आवश्यक है

से केवल 8.45 लाख रुपये की वसूली ठेकेदार से की गयी। फलस्वरूप ठेकेदार को 25.51 लाख रुपये का अनुचित लाभ हुआ।

अनुबंध की धारा 4.3.3 में निर्धारित है कि ठेकेदार द्वारा अपूर्ण छोड़े गये कार्य कार्यपालन यंत्र के द्वारा दोषी ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर दूसरे ठेकेदार को पूर्ण करने के लिये दिये जा सकते हैं अथवा विभागीय रूप से पूर्ण कराये जा सकते हैं।

6.17 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत एवं 73.68 लाख रुपये की अन्य प्राप्य राशियों की दोषी ठेकेदार से वसूली न करना

लेखा परीक्षा जाँच में ज्ञात हुआ कि ठेकेदारों द्वारा छोड़े गये 10 अपूर्ण कार्यों को दूसरी एजेंसियों/ठेकेदारों से कराया गया। परंतु परिशिष्ट XLVI में दिये गये विस्तृत विवरण के अनुसार दोषी ठेकेदारों से 6.17 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत एवं 73.68 लाख रुपये की अन्य प्राप्य राशियाँ वसूल नहीं की गयी (जुलाई 2003)।

कार्यपालन यंत्र ने उत्तर में कहा कि अतिरिक्त लागत एवं अन्य प्राप्य राशियों की वसूली के लिये कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (फरवरी 2004)।

लीड एवं लिफ्ट के लिये पृथक दरों की स्वीकृति के फलस्वरूप 49.16 लाख रुपये का अस्वीकार्य भुगतान हुआ

अनुबंध की अनुसूची जी एवं धारा 3.11 (ए) में निर्दिष्ट है कि ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरें लीड एवं लिफ्ट सहित होना चाहिए एवं किसी भी प्रकरण में जल सहित किसी भी सामग्री के लीड एवं लिफ्ट का पृथक से भुगतान नहीं किया जायेगा।

तथापि मिट्टी कार्य के लिये बाह्य क्षेत्र से मिट्टी लाने के लिये अतिरिक्त लीड हेतु ऊंची दर स्वीकृत कर विभिन्न ठेकेदारों को भुगतान किया गया। फलस्वरूप परिशिष्ट XLVII में दर्शाये अनुसार 49.16 लाख रुपये का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

कार्य पालन यंत्र हसदेव नहर संभाग सक्ति ने उपरोक्त सभी प्रकरणों में उत्तर दिया कि अतिरिक्त भुगतान स्वीकृति के अनुसार ही था एवं मिट्टी की गुणवत्ता के लिये अतिरिक्त लीड का भुगतान आवश्यक था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिशिष्ट जी की धारा (ए) के अनुसार निर्धारित दरों में पास के क्षेत्र से सभी प्रकार की लिफ्ट सहित मिट्टी लाने के लिये ठेकेदार की लागत सम्मिलित है एवं कोई अतिरिक्त लीड स्वीकार्य नहीं थी।

शिवनाथ व्यपवर्तन परियोजना

न्यूनतम अस्वीकृत निविदा की दरों की तुलना में ऊँची दरों की स्वीकृति से 5.62 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई

28.68 लाख रुपये प्राक्कलित लागत वाली किरगी माइनर एम.ओ.डी. मुख्य नहर के मिट्टी कार्य के निर्माण के लिये सितम्बर 1999 में ए-2 से ए-5 श्रेणी के ठेकेदारों से फार्म बी पर सील बंद मद दर निविदायें आमंत्रित की गयी थीं। प्राप्त छः निविदायें अक्टूबर 1999 में खोली गयीं। निविदाकृत दरें एकीकृत दर अनुसूची से 9.19 प्रतिशत कम से 15.38 प्रतिशत अधिक की सीमा तक थी।

पोस्ट (क्वालिफिकेशन) के आकलन के बाद दो ठेकेदार बिड सामर्थ्य के औचित्य पर योग्य पाये गये। तथापि, यह देखा गया कि सभी तीन अस्वीकृत ठेकेदार भी प्रमुख अभियंता द्वारा ए-3 श्रेणी में वर्गीकृत थे एवं परिणामस्वरूप इस कार्य की बिड के लिये योग्य थे। अपेक्षाकृत कम बिड सामर्थ्य के आधार पर इन तीन योग्य ठेकेदारों को नकारना विभागीय मानकों के अनुसार अनियमित था। श्री आर.एल.तिवारी (एल-4) की

दरों की स्वीकृति से एल-1 की तुलना में 5.62 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आयी।

कोसरटेड़ा सिंचाई परियोजना

स्ट्रक्चर्स गोप को छोड़कर कोसरटेड़ा परियोजना की मुख्य नहर की खुदाई की निविदायें चार समूहों में सितम्बर 2002 में आमंत्रित की गयी थीं।

विस्तृत प्रचार के बिना उच्च दरों की स्वीकृति से 23.12 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई

समूह- III (9.77 प्रतिशत कम) एवं IV (1.27 प्रतिशत कम) की निविदा स्वीकृति समूह 1 (20.20 प्रतिशत कम) से तुलना करने पर उच्च पक्ष की थी फलस्वरूप 23.12 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई। तथापि सभी चार समूह एक ही ठेकेदार मे.यू.ए.एन.कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को दिये गये।

निविदा आमंत्रण सूचना में निम्न कमियाँ पाई गई:-

निविदा आमंत्रण सूचना केवल दो क्षेत्रीय हिन्दी समाचार पत्रों जैसे नवभारत रायपुर एवं देशबंधु बिलासपुर में क्रमशः एक व दो अक्टूबर 2002 को प्रकाशित की गयी। इस प्रकार अखिल भारतीय समाचार पत्रों व अंग्रेजी समाचार पत्रों में विस्तृत प्रचार नहीं दिया गया जैसा कि म.प्र.लोक निर्माण विभाग संहिता (जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है) की कंडिका 2.077 में आवश्यक है।

उत्तर में कार्यपालन यंत्री, जनजाति विकास पायलट परियोजना संभाग ने कहा (अप्रैल 2003) कि निविदायें केवल छत्तीसगढ़ व म.प्र. से ही नहीं अपितु हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि से भी प्राप्त हुई थीं। अतः विस्तृत प्रचार स्वयं सिद्ध है। प्रत्येक ठेकेदार ने इन क्षेत्रों में कार्य निष्पादन में कठिनाइयों को दर्शाते हुए मे.यू.ए.एन. कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड से ऊँची दरें दीं। प्रचलित श्रमिक मूल्यों आदि की तुलना में दरें भी काफी कम थीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि केवल दो क्षेत्रीय हिन्दी दैनिकों में प्रकाशित हुई निविदा आमंत्रण सूचना को दूर-दूर से विस्तृत प्रत्युत्तर कैसे मिला। दरों को समझौता वार्ता से वास्तविक स्तर पर लाना चाहिये था या समूह क्र. 3 व 4 के लिये निविदायें पुनः आमंत्रित करना थीं क्योंकि सभी कार्य एक ही ठेकेदार को दिये गये थे।

3.4.7 अन्य रूचिकर बिन्दु

अवमानक कार्य

जाँच न की गई सीमेंट के उपयोग एवं कार्यों की जाँच न करने से 33.04 करोड़ रुपये का अवमानक कार्य हुआ।

"टर्न की" अनुबंध की कंडिका 4.21 एवं 4.58.1 से 4.58.4 के अनुसार ठेकेदार को 450 मैट्रिक टन प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता वाली सीमेंट फेक्टरी से सीमेंट क्रय करना आवश्यक था। इसी तरह स्टील आई.एस.आई. विशिष्टियों का होना था एवं खरीद का प्रमाण जैसे खरीद बिल सुपुर्दगी चालान एवं एक्साइज गेट पास टेस्ट रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किये जाने थे। यद्यपि खरसिया संभाग में 30.73 करोड़ रुपये (अगस्त 2003) एवं हसदेव बांगो परियोजना के सक्ति संभाग में 2.31 करोड़ रुपये का भुगतान जारी किया गया परंतु सीमेंट खरीद का प्रमाण एवं स्टील की टेस्ट रिपोर्ट जैसा कि आवश्यक था विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। जैसा कि आवश्यक था विभाग द्वारा भी कोई टेस्ट

नहीं कराये गये ।

कार्यपालन यंत्री ने उत्तर में कहा कि ठेकेदार को पूर्व में ही खरीद बिल एवं टेस्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे । चूँकि अब तक 33.04 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य पूर्ण हो चुके थे एवं भुगतान कर दिया गया था, इनको अब उपलब्ध कराने से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। तथापि अवमानक सामग्री उपयोग होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

सीमेंट के कम उपयोग से ठेकेदार को 0.51 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ हुआ

अनुमोदित मिक्स डिजाइन के अनुसार ग्रेड एम.10, एम.15, एम.25, एम.30 एवं एम.35 की 18235.811 घ.मी. कांक्रीट के लिये 1,14,775 बोरी सीमेंट की आवश्यकता थी। उसके विरुद्ध केवल 73928 बोरी सीमेंट उपयोग में लाई गई फलस्वरूप 40847 बोरी सीमेंट का कम उपयोग हुआ। ठेकेदार को 0.51 करोड़ रुपये के अनुचित वित्तीय लाभ का अनुमान लगाया गया।

कार्य में उपयोग की गई सामग्रियों की जाँच न करने से 1.34 करोड़ रुपये का अवमानक कार्य हुआ

- शिवनाथ परियोजना के 1.34 करोड़ रुपये के सात कार्यों के अनुबंध के अनुसार ठेकेदार की लागत पर कार्य में उपयोग में लायी गयी सामग्री की गुणवत्ता नियंत्रण की जाँच निष्पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला द्वारा की जानी थी तथापि कोई जाँच नहीं की गई।

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, राजनांदगांव ने उत्तर में बताया कि जाँच, कार्य की मात्रा कम होने से नहीं कराये गये एवं वे गुणवत्ता से संतुष्ट थे एवं इसलिये कार्य स्वीकार किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं क्योंकि संविदात्मक शर्तों का कार्यपालन यंत्री ने उल्लंघन किया। बिना जाँच प्रतिवेदन के 1.34 करोड़ रुपये के भुगतान को जारी करना भी अनियमित है।

- अनुबंध की शर्तों के अनुसार किये गये कार्य के पर्यवेक्षण के लिये अर्हता प्राप्त इंजीनियर्स को नियुक्त किया जाना था। इस तरह कार्य में उपयोग में लायी गयी सामग्री की जाँच बरनई परियोजना में कार्यरत गुणवत्ता नियंत्रण उपसंभाग से कराई जानी थी।

उपयोग में लायी गयी सामग्री एवं कार्य की जाँच न करने से 1.92 करोड़ रुपये का अवमानक कार्य हुआ ।

तथापि, न तो पर्यवेक्षण के लिये इंजीनियर रखे गये एवं न ही विशिष्ट गुणवत्ता हेतु उपयोग की गयी सामग्री की जाँच की गई। इस प्रकार ठेकेदारों द्वारा 2002-03 की अवधि में 1.92 करोड़ रुपये का निष्पादित कार्य मानक कार्य नहीं कहा जा सकता।

सिंचाई क्षमता का कम उपयोग/उपयोग न करने से राजस्व हानि

सिंचाई क्षमता के कम उपयोग से 2.19 करोड़ रुपये की राजस्व हानि ।

- यद्यपि 1999-2000 से 2002-03 की अवधि में 52179 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ, वर्ष 2000-01 से 2002-03 में इस क्षमता का उपयोग निरंक रहा, फलस्वरूप 2.19 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

मुख्य अभियंता, हसदेव परियोजना ने उत्तर में कहा (जुलाई 2003) कि खरीफ मौसम में सिंचाई जल का उपयोग प्रत्याशित सिंचाई के लिये है एवं यह किसानों के लिये अनिवार्य नहीं है कि खरीफ फसल के लिये सिंचाई का उपयोग करें जब तक वे दीर्घ अवधि के लिये अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर देते। वर्षों से समय पर वर्षा से किसानों में

सिंचाई मांग अनुबंध पर हस्ताक्षर न करने की प्रवृत्ति है। दूसरा यह कि किसान आसानी से रबी फसल एवं बारहमासी फसलों के लिये इच्छुक नहीं रहते क्योंकि वे धान की फसल बोने के अभ्यस्त हो गये हैं। किसानों को रबी एवं बारहमासी फसलें लेने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन ने 2000-01 से ग्रीष्म धान के लिये सिंचाई जल के प्रदाय पर रोक लगायी है जिससे भी क्षमता के उपयोगिता पर प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा किसान रबी एवं अन्य बारहमासी फसलों के विकल्प हेतु पर्याप्त समय लेते हैं।

उपरोक्त उत्तर से यह प्रतीत होता है कि बिना किसी वास्तविक मांग के उचित आकलन के बिना परियोजना में निवेश किया गया फलस्वरूप सिंचाई लाभ कभी भी पूरी तरह से नहीं लिये जा सकते।

सिंचाई क्षमता के उपयोग न करने से 13.40 लाख रुपये की राजस्व हानि

- 2001-02 एवं 2002-03 में जोंक व्यपवर्तन योजना के लिये 3832 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया था परंतु उपयोग निरंक था। फलस्वरूप 13.40 लाख रुपये की हानि हुई क्योंकि परियोजना का रूपांकन केवल वर्षा ऋतु में पानी लेने के लिये किया गया एवं वहाँ जलाभाव की अवधि में सिंचाई के प्रयोजन हेतु जल प्रदाय की सुनिश्चितता के लिए कोई जलाशय नहीं है। कार्यपालन यंत्री ने उत्तर में कहा कि उपयोग में कमी कम वर्षा के कारण थी।

सिंचाई क्षमता के उपयोग न करने से 19.34 लाख रुपये की हानि

- शिवनाथ परियोजना की सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं हो सका क्योंकि नहर का एक हिस्सा अभी भी अपूर्ण था फलस्वरूप 19.34 लाख रुपये की राजस्व हानि हुई। जल की अनुपलब्धता एवं किसानों के साथ अनुबंध का निष्पादन न होने को सिंचाई क्षमता के उपयोग न होने के लिये आरोपित किया गया जो निम्नस्तरीय योजना को दर्शाता है।

जल उपभोक्ता संथाओं को अस्वीकार्य भुगतान

जल उपभोक्ता संथाओं को 31.62 लाख रुपये का भुगतान अस्वीकार्य था

म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग ने अनुदेश (मई 2000) दिये कि बांध नहर माइनरों एवं वितरणियों के संचालन/संधारण/मरम्मत के लिये जल उपभोक्ता संथाओं को 50 रुपये प्रति हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र का वार्षिक भुगतान किया जाय। कृषि कमांड क्षेत्र 63854.24 हेक्टेयर के लिये 50 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 31.93 लाख रुपये का भुगतान वर्ष 2000-01 से किया जाना था जबकि भुगतान 1999-2000 से किया गया फलस्वरूप 31.62 लाख रुपये का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

3.4.8 मोनिटरिंग एवं मूल्यांकन

प्रमुख अभियंता के अधीन राज्य स्तरीय मोनिटरिंग तंत्र उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था। इस तथ्य को प्रमुख अभियंता ने स्वीकार किया (सितम्बर 2003)।

3.4.9 उपसंहार

सभी पाँच परियोजनाओं के अपूर्ण रहने के कारण राज्य में बढ़ती हुई सिंचाई क्षमता पर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सका। शिवनाथ व्यपवर्तन से सृजित क्षमता का थोड़ा सा लाभ किसानों को प्राप्त हुआ क्योंकि क्षमता

का उपयोग नहीं किया जा सका। परियोजनाओं का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एवं फास्ट ट्रेक के अंतर्गत चयन दोषपूर्ण था एवं फलस्वरूप कार्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सके। परियोजनाओं के निष्पादन में असामान्य विलंब हुआ एवं वांछित सिंचाई क्षमता प्राप्त नहीं की जा सकी। सृजित सिंचाई क्षमता का भी उचित उपयोग नहीं हुआ। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अधीन पाँच सिंचाई परियोजनाओं में 375.96 करोड़ रुपये की लागत पर विचारित 113912 हेक्टेयर की क्षमता के विरुद्ध 379.09 करोड़ रुपये की लागत पर कुल 61399 हेक्टेयर की क्षमता का सृजन हो सका। वास्तविक उपयोग केवल 3500 हेक्टे. का था एवं कम मांग/वर्षा की कमी आदि के कारण लगभग 57899 हेक्टेयर अनुपयोगी रहा। फलस्वरूप 2.52 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

3.4.10 अनुशासन

- परियोजना बनाने में सावधानीपूर्वक ध्यान देना चाहिये एवं केवल जीवनक्षम परियोजनाओं का चयन त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में किया जाय। निष्पादन के लिये परियोजनाएँ बनाते समय दिशा निर्देश, निर्धारित नियम एवं शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाय।
- ठेके के प्रावधानों एवं विशिष्टियों के अनुरूप निर्माण कार्यों का निष्पादन किया जाय एवं गुणवत्ता नियंत्रण किया जाय।
- कृषि विभाग के स्थान पर जल संसाधन विभाग द्वारा किसानों में जागरूकता लाना चाहिये जिससे रबी फसल के लिये सिंचाई सुविधाओं को उपयोग में लाया जा सके। हरियाणा राज्य की तरह कॉल सेन्टर खोलना चाहिये।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया (अक्टूबर 2003); उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2004)।

समाज कल्याण विभाग

3.5 विकलांगों का कल्याण

छत्तीसगढ़ राज्य में शीघ्र विकलांगता का पता लगाना, विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, नौकरी दिलाना, स्वरोजगार हेतु सहायता और सहायता और उपकरणों की निःशुल्क पूर्ति सहित व्यापक पुनर्वास करने हेतु संचालनालय पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत एक पृथक विभाग 2000-2001 में स्थापित किया गया था जिस का उद्देश्य विकलांगों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वाधीन बनाना था।

राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण के अनुसार 1991 में देश की कुल जनसंख्या का 1.9 प्रतिशत विकलांग थे। विकलांग जनसंख्या के 49.2 प्रतिशत व्यक्तियों में गतिशील विकलांगताएं थी। विकलांग जनसंख्या में से 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं जहाँ प्राथमिक सेवाएं, सुविधाएं और चिकित्सा सहायता अल्प विकसित थी। राज्य सामाजिक कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा जुलाई 2001 में किये गये सर्वेक्षण में पाया गया कि 2.08 करोड़ की कुल जनसंख्या में से लगभग 3.48 लाख व्यक्ति विकलांग पाये गये थे। यह कुल जनसंख्या का 1.67 प्रतिशत होता है जो राष्ट्रीय प्रतिशत (1.9) से तुलना करने पर कम है।

3.5.1 विकलांगों के कल्याण के लिए योजना

विकलांगों के कल्याण के लिये केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा से प्रकट होता है कि यद्यपि निधियाँ उपलब्ध थी परंतु उनका पूर्णतया उपयोग नहीं हुआ एवं विकलांगों के कल्याण के लिये वे अव्ययित रहीं। आगे राज्य के विकलांगों की संपूर्ण जनसंख्या की पहचान के लिये कोई सर्वेक्षण भी नहीं किया गया एवं राज्य में कल्याण गतिविधियों की समीक्षा एवं समन्वय के लिये गठित समिति वृहद रूप में अकार्यशील रही जैसा कि उत्तरवर्ती कंडिकाओं में बताया गया है।

नवंबर 2000 से मार्च 2003 के दौरान भारत सरकार द्वारा 5.74 करोड़ रुपये एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 28.74 करोड़ रुपये के आबंटन के विरुद्ध क्रमशः 2.17 करोड़ रुपये, एवं 27.43 करोड़ रुपये का व्यय किया गया इस प्रकार 4.88 करोड़ रुपये (14.15 प्रतिशत) का उपयोग नहीं हुआ एवं पात्र विकलांग इस सीमा तक लाभ से वंचित रहे।

विभाग ने उत्तर दिया कि मानव संसाधनों के अभाव और प्रशासनिक कार्य प्रणाली के कारण व्यय नहीं किया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जिला स्तर पर योजनाएं क्रियान्वित की गई थी जहाँ अमले की कोई कमी नहीं थी।

शारीरिक विकलांगताएँ अधिनियम

1995 में भारत सरकार द्वारा बनाये शारीरिक विकलांगताएँ अधिनियम का उद्देश्य विकलांगता चिन्हित करना, सूचना भागीदारी जन जागरूकता उत्पन्न करना, सुविधा प्रदान करना, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, विकलांगता की रोकथाम इत्यादि है।

अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा में पाया गया कि राज्य कार्यपालन समिति एवं राज्य समन्वय समिति जिन्हें अधिनियम से संबंधित विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संगठनों के कल्याण क्रियाकलापों का समन्वय एवं समीक्षा करनी थी, नवंबर 2000 एवं मार्च 2003 के दौरान केवल एक बार ही मिले थे।

इसके अतिरिक्त शारीरिक विकलांगताएँ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार को विकलांगताओं के कारणों को जानने हेतु सर्वेक्षण एवं शोध करना चाहिए था। 22 जुलाई 2001 को राज्य में 3.48 लाख विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या के विरुद्ध केवल 0.49 लाख (14 प्रतिशत) विकलांगता कार्ड जारी किये गये थे। पहचाने न गये विकलांग जन समुदाय को लिए जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसी प्रकार जोखिम प्रकरणों में पहचानने हेतु बच्चों की छंटाई करने के भी कोई प्रयास नहीं किये गये थे।

विकलांग व्यक्तियों हेतु साधन एवं उपकरण क्रय/जुड़ाई हेतु सहायता योजना

इस योजना का उद्देश्य उपयुक्त, टिकाऊ, परिष्कृत वैज्ञानिक रूप से निर्मित मानक उपकरण लाकर विकलांगों की सहायता करना है जिससे कि उनकी आर्थिक समर्थता बढ़ाकर एवं विकलांगताओं के प्रभावों में कमी द्वारा शारीरिक/सामाजिक मनोवैज्ञानिक पुनर्वास बढ़ाना है। योजना जिला पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

लेखा परीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 57.94 लाख रुपये के आबंटन के विरुद्ध विभिन्न बैंकों में 11.86 लाख रुपये 48 माह तक रखे गये। इसके अतिरिक्त अन्य एजेंसियों से संबंधित 3.34 लाख रुपये की राशि भी अव्ययित रही। इस प्रकार 15.20 लाख रुपये (26 प्रतिशत) की राशि अप्रयुक्त रहने से विकलांग व्यक्तियों हेतु सहायता एवं उपकरण क्रय/जुड़ाई योजना के अंतर्गत कार्यों से जरूरत मंद विकलांग वंचित रहे।

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

यह कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों को द्वार पर व्यापक पुनर्वास सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित था। लेखा परीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा विमुक्त किये गये 3.64 करोड़ रुपये में से 3.08 करोड़ रुपये (85 प्रतिशत) बैंक में मियादी जमा के रूप में रखे गये थे।

समाज कल्याण विभाग ने उत्तर में आधार स्तर कार्यकर्ताओं के चयन में देरी और अन्य प्रशासनिक विलम्ब को निधियों के कम उपयोग का कारण बताया। उत्तर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शासन स्तर पर गंभीरता का अभाव दर्शाता है।

एकीकृत विकलांग बाल शिक्षा योजना

एकीकृत विकलांग बाल शिक्षा योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इसका उद्देश्य विकलांग छात्रों को पुस्तकें और लेखन सामग्री भत्ता, निःशुल्क गणवेश परिवहन सुविधाएं और उपकरण इत्यादि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर सामान्य स्कुलों में विकलांग छात्रों को एकीकृत करना था।

योजना के क्रियान्वयन की लेखा परीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि आबंटित 1.58 करोड़ रुपये में से 1.11 करोड़ रुपये (70.3 प्रतिशत) अव्ययित रहे।

संचालक लोक शिक्षण ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य की तात्कालिक स्थापना और विभाग में एकीकृत विकलांग बाल शिक्षा योजना कक्ष के गठन न होने के कारण कम व्यय था। आबंटित निधियों का उपयोग न होने के परिणाम स्वरूप विकलांग बच्चे उनको मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहे।

वित्तीय आवश्यकताओं के विस्तृत प्रस्ताव और आकलन प्रस्तुत न करने के कारण योजना के अंतर्गत किये गये व्यय की राशि (46.74 लाख रुपये) की प्रतिपूर्ति भी भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई। इससे राज्य के राजकोष पर अनावश्यक भार पड़ा।

जिला पुनर्वास केन्द्र

जिला पुनर्वास केन्द्र एक शत प्रतिशत केन्द्र क्षेत्र योजना बिलासपुर में 1986 में स्थापित की गई थी। इस केन्द्र का कार्य विकलांगों की पहचान, उपचार, कृत्रिम अंग, उपकरण, शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास की दिशा में रोजगार मार्गदर्शन प्रदान करना था। इस केन्द्र को नगाड़ा बजाकर, शिविर आयोजित कर जन संपर्क साधनों के माध्यमों, नुक्कड़ नाटकों द्वारा, ध्वजों, पुस्तिकाओं के वितरण एवं सूचनाएं प्रकाशित करने जैसे जागरूकता के तरीके अपनाकर शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा विकलांगताओं की रोकथाम करने का कार्य सौंपा गया था। इसका अभिप्राय अनुस्थान कार्यक्रम, शिक्षा प्रोत्साहन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि का परिचालन करना भी था।

नवम्बर 2000 मार्च 2003 की अवधि के दौरान केन्द्र, ग्रामीण शिविरों के आयोजन, विकलांग की पहचान, पंजीकृत विकलांग को उपचार सेवाएं देने, कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदान करने एवं परिवार सेवाओं से संबंधित अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका एवं विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी 3 से 13 प्रतिशत एवं 40 से 66 प्रतिशत की सीमा में थी।

आगे, विकलांग व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास सेवायें सुनिश्चित करने के लिए तीन जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये गये थे। जिला पुनर्वास केन्द्र दुर्ग रायपुर (फरवरी 2002) और रायगढ़ (अप्रैल 2001) में स्थापित किये गये। बिलासपुर को पूर्व के दो जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया था।

जिला पुनर्वास केन्द्र रायपुर ने सहायता और उपकरण पर 75 प्रतिशत और मानदेय पर तीन प्रतिशत व्यय किया जबकि जिला पुनर्वास केन्द्र दुर्ग ने सहायता एवं उपकरणों पर 24 प्रतिशत और मानदेय पर 48 प्रतिशत व्यय किया। सहायता और उपकरणों से तुलना करने पर मानदेय पर लगभग दुगने किये गये व्यय हेतु कोई कारण नहीं दिये गये।

भारत सरकार कल्याण मंत्रालय ने अनुदेश जारी किये (जनवरी 1991) कि समाप्त किये गये पद उसी विभाग या कुछ अन्य सहयोगी विभागों में चरणों में धीरे-धीरे समायोजित किये जावे।

जिला पुनर्वास केन्द्र बिलासपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (मई 2003) कि दो वर्ष की अवधि के लिए अक्टूबर 1988 में सृजित किये गये 10 पद समाप्त घोषित किये गये थे तथापि इन पदों के विरुद्ध नियुक्त अमला पद पर स्थित रहने के परिणाम स्वरूप 1998-99 से 2002-2003 तक की अवधि हेतु 31.13 लाख रुपये के वेतन एवं भत्तों का अनियमित आहरण किया गया।

जिला पुनर्वास अधिकारी बिलासपुर ने बताया कि मामला शासन के विचाराधीन हैं। तथापि समाप्त पदों के विरुद्ध अमले के वेतन एवं भत्तों का आहरण निरंतर हो रहा था।

3.5.2 परिवीक्षण

विभाग द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन के सतत परिवीक्षण हेतु न तो कोई क्रियाविधि विकसित की गई थी और न ही क्रियान्वयन के परिणाम मूल्यांकित किये गये थे। परिणामस्वरूप विकलांगों के कल्याण के प्रति लक्षित विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता उचित रूप से मूल्यांकित नहीं की जा सकी।

3.5.3 निष्कर्ष

अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए चिन्हित निधियाँ उपयोग नहीं की गयी थी और विकलांगों की पहचान के साथ साथ सहायता और उपकरणों के प्रदाय हेतु शिविर लगाने में बहुत कमी थी। अभिप्रेत लाभों से विकलांग वंचित थे। निम्न वित्तीय प्रबंधन परिवीक्षण के परिणाम स्वरूप बहुत कम संसाधनों का उपयोग और कार्यक्रमों का दोषपूर्ण क्रियान्वयन किया गया जिससे उपलब्ध अवसरों एवं सुविधाओं से विकलांग जन वंचित रहे।

3.5.4 अनुशांसाएं

- विभाग को राज्य में विकलांग जनसंख्या के अनुमान के लिए सर्वेक्षण का वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए।
- शारीरिक विकलांगताएं अधिनियम 1995 के अक्रियान्वित धाराओं का तुरंत क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।
- विभाग पहचान और सामुदायिक आधारित पुनर्वास कार्यकर्ताओं और बहुदेशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं की पहचान एवं प्रशिक्षण बहुदेशीय पुनर्वास कार्यकर्ताओं के लिए बहुदेशीय किटों का प्रावधान और जिला और राज्य संसाधन केन्द्रों के विकास की गति बढ़ाना चाहिए।

उपरोक्त बिन्दु अक्टूबर 2003 में शासन को भेजे गये थे, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2004)।